वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

विषय वस्तु

अध्याय संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1-4
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2-3
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	4
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	5-8
	(क) सोलहवीं लोक सभा का विघटन............	5
	(ख) सत्रहवीं लोक सभा का गठन............	5
	(ग) सत्रहवीं लोक सभा के सदस्यों को शपथ दिलाने अथवा प्रतिज्ञान कराने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति............	5-6
	(घ) अध्यक्ष निर्वाचित............	6
	(ड.) राज्य सभा के नेता............	6
	(च) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	6-8
	(छ) सत्र	7-8
	(i) बुलाया जाना	7
	(ii) सत्रावसान	7-8
	(ज) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सत्रहवीं लोक सभा)	8
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	9-14
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	9-10
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	10
	(ग) अध्यादेश	10-12
	(घ) राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.12.2019 तक प्रख्यापित अध्यादेश	12-14
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	15-20
	(क) सरकारी कार्य	15
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	15-16
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	16
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	17-18
	(i) विधायी	17
	(ii) वित्तीय	17
	(iii) बजट	18
	(ड.) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	18
	(च) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	18-19
	(छ) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	19
	(ज) अन्य गैर-सरकारी कार्य	19
	(झ) बैठकों की संख्या	19-20

अध्याय-5	**गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**	21-26
	(क) लोक सभा	21
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	21
	(ख) राज्य सभा	21-23
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	21-22
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	22-23
	(iii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	23
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख...	23-24
	(घ) दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.........	24-25
	(ङ) दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	25
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2019 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	25-26
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प..................	26
अध्याय-6	**आश्वासनों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग**	27-30
	(क) सामान्य प्रक्रिया	27-28
	(ख) लोक सभा	28-29
	(ग) राज्य सभा	29
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	29-30
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	30
अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	31-33
	(क) नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले (लोक सभा)...................	31
	(ख) नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख (राज्य सभा)	31
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	32
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	32-33
अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	34-36
अध्याय-9	**सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान**	37-38
	(क) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों का नामांकन..	37
	(ख) 57वें नो इंडिया कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बैठक........................	37
	(ग) संसद सदस्यों के विदेश दौरे...	38
	(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	38
	(ङ.) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति	38

अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	39-47
	(क) प्रस्तावना	39-40
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	40-41
	(i) शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह	40
	(ii) 54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम..	41
	(iii) 54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन......	41
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता....................	41-43
	(i) 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह..	41-42
	(ii) 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम..	42-43
	(iii) 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन...	43
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	43-44
	(i) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह	43-44
	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम......	44
	(iii) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन	44
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता.........................	45
	(i) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का मूल्यांकन................................	45
	(ii) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह.........	45
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	46
	(छ) "राष्ट्रीय युवा संसद योजना" वेब-पोर्टल का आरंभ....................................	46-47
अध्याय-11	**मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**	48-51
	(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति..	48
	(ख) हिंदी सलाहकार समिति	48
	(ग) हिंदी पखवाड़ा..	48-50
	(घ) हिंदी कार्यशाला...	51
अध्याय-12	**राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)**	52-71
	(क) प्रस्तावना...	52-53
	(ख) नेवा की मुख्य विशेषताएं..	53-54

	(ग)	राज्य विधानमंडलों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यशाला..............................	54-61
	(घ)	नोडल अधिकारियों को ज्ञान हस्तांतरित करने हेतु संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग..	61-63
	(ङ)	राज्य सभा सचिवालय के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन" पर परस्पर संवाद सत्र..	63-65
	(च)	भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति द्वारा नेवा की समीक्षा..	65-66
	(छ)	डॉ. सूर्या नारायण राव, ओडीशा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के समक्ष राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर प्रस्तुति..............................	67
	(ज)	सहायक सचिवों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम..............................	68
	(झ)	बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम..............	69
	(ञ)	अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम..	70-71
अध्याय-13	**सामान्य**		72-80
	(क)	सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन..	72
	(ख)	हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	72
	(ग)	संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई...............................	72
	(घ)	संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते...	73
	(ङ)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.............	73
	(च)	नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान	73-74
	(छ)	अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन...	74
	(ज)	केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम..	74-75
	(झ)	संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं..	76
		(i) संसद सदस्यों का कल्याण..	76
		(ii) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रिभोज की व्यवस्था	76
	(ञ)	महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य..	77
	(ट)	संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क...................	77-78
	(ठ)	सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक..	78
	(ड)	अनुसंधान कार्य..	78-79
	(ढ)	बजट की स्थिति..	79-80
	(ण)	दिव्यांग व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप............................	80

<u>परिशिष्ट</u>

पृष्ठ

परिशिष्ट संख्या	नाम	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	82
परिशिष्ट-2	उन सरकारी विधेयकों की सूची जो सोलहवीं लोक सभा के विघटन पर संविधान के अनुच्छेद 107(5) की शर्तों के अनुसार व्यपगत हो गए।	83-84
परिशिष्ट-3	दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	85-88
परिशिष्ट-4	17वीं लोक सभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 250वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	89-90
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	91-92
परिशिष्ट-5क	दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	93
परिशिष्ट-5ख	केंद्रीय बजट	94-95
परिशिष्ट-6	दिनांक 08.02.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	96-105
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश	106-111
परिशिष्ट-8	17वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	112-113
परिशिष्ट-9	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	114-116
परिशिष्ट-10	1 से 16 सितंबर, 2019 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण	117-118
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	119-121
परिशिष्ट-12	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	122-124
परिशिष्ट-13	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	125-130
परिशिष्ट-14	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	131

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया और बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू रूप से पारित होना सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 37 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ऑफलाइन मोड में प्रतियोगिताओं अतिरिक्त, हाल ही में, भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ - “संविधान दिवस” मनाने के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया। वेब पोर्टल का उद्देश्य देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला :-

I. मंत्री जिन्होंने 16वीं लोक सभा के विघटन तक मंत्रालय का कार्यभार संभाला

1.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 12.11.2018 से विघटन तक।
2.	श्री विजय गोयल, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 03.09.2017 से विघटन तक।

3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 03.09.2017 से विघटन तक।

II. मंत्री जिन्होंने 17वीं लोक सभा के गठन के पश्चात मंत्रालय का कार्यभार संभाले रखा

1.	श्री प्रहलाद जोशी, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 30.05.2019 से आगे।
2.	श्री वी. मुरलीधरन, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

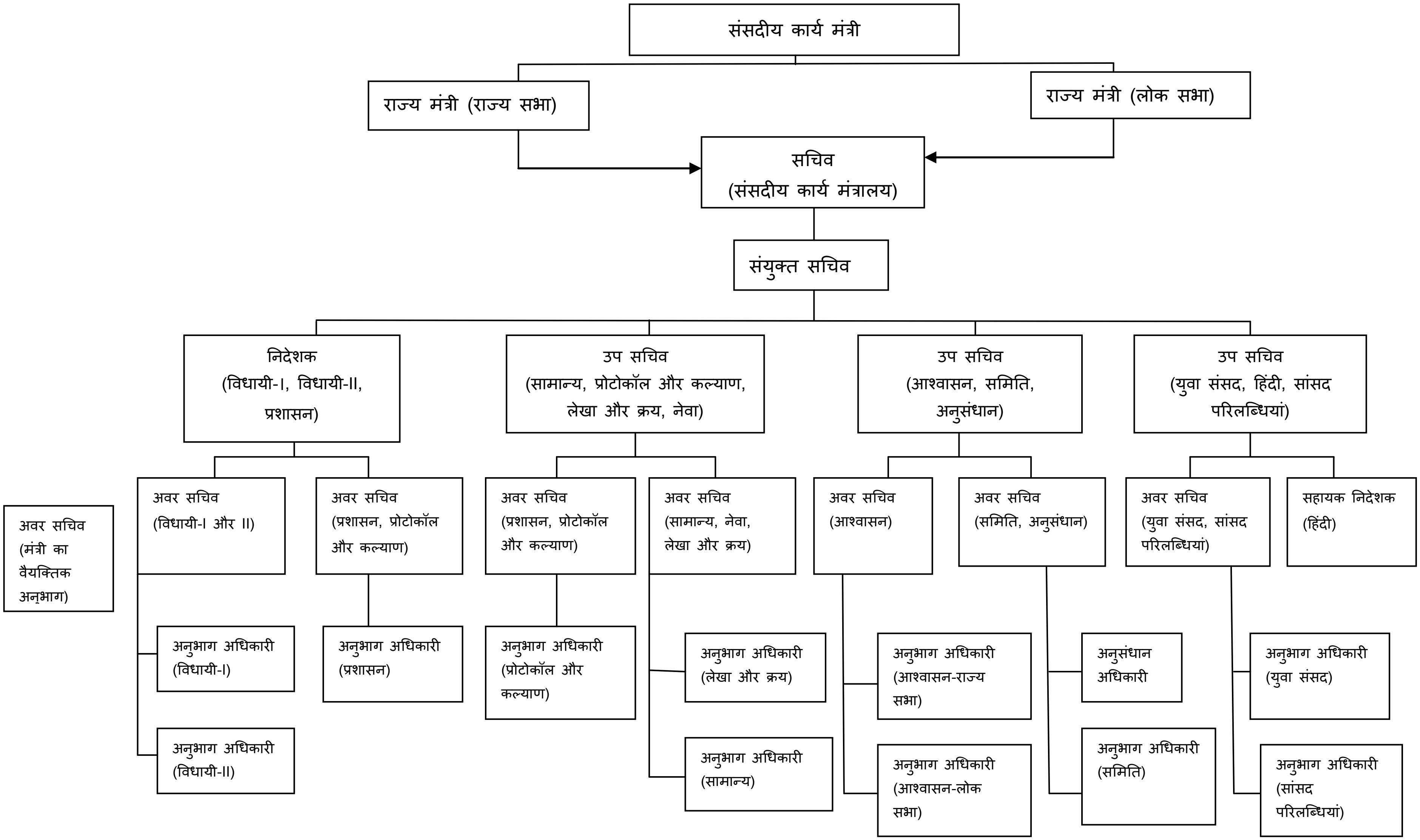

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

<u>एक झलक</u>

- सोलहवीं लोक सभा 25 मई, 2019 को विघटित कर दी गई।
- सत्रहवीं लोक सभा का गठन 25 मई, 2019 को किया गया था।
- दिनांक 1.1.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा की क्रमश: 67 और 65 बैठकें हुई।
-

सोलहवीं लोक सभा का विघटन

2.1 18 मई, 2014 को गठित की गई सोलहवीं लोक सभा 25 मई, 2019 को विघटित कर दी गई। सोलहवीं लोक सभा के कार्यकाल और राज्य सभा की समरूपी अवधि के दौरान, लोक सभा के 17 सत्र और राज्य सभा के 18 सत्र बुलाए गए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में, लोक सभा की 561 दिनों में 331 बैठकें हुई और राज्य सभा की 526 दिनों में 329 बैठकें हुई। इसके अलावा, 26 और 27 नवंबर, 2015 को लोक सभा की विशेष बैठकें हुई तथा 27, 28 नवंबर तथा 1 दिसंबर, 2015 को राज्य सभा की विशेष बैठकें हुई जो "डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता पर चर्चा" के लिए समर्पित थी।

सत्रहवीं लोक सभा का गठन

2.2 निर्वाचन आयोग ने 25 मई, 2019 को सत्रहवीं लोक सभा का गठन किया।

सत्रहवीं लोक सभा के सदस्यों को शपथ दिलाने अथवा प्रतिज्ञान कराने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति

2.3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के दूसरे परंतुक के अनुसार, जब भी लोक सभा का विघटन होता है, नई लोक सभा की पहली बैठक से तत्काल पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। सोलहवीं लोक सभा के विघटन पर 25 मई, 2019 को उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अंतर्गत जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होते है, अध्यक्ष के कार्य सदन के एक सदस्य द्वारा निपटाए जाते हैं, जिसे इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष में रूप में नियुक्त किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 99 प्रत्येक संसद सदस्य के लिए संसद के किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का अनुबंध करता है।

2.4 संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति ने डॉ. वीरेन्द्र कुमार, लोक सभा के सदस्य, को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें राष्ट्रपति भवन में 17 जून, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी। डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने 17 जून, 2019 को लोक सभा की बैठक के प्रारंभ होने से लेकर सदन के अध्यक्ष का चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। लोक सभा के सदस्य, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री बृजभूषण शरण सिंह और श्री भर्तृहरि महताब को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया जिनमें से किसी के भी समक्ष नए सदस्य शपथ ले सकते थे या प्रतिज्ञान कर सकते थे।

अध्यक्ष निर्वाचित

2.5 19 जून, 2019 को, श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी द्वारा पेश किए गए और श्री राजनाथ सिंह द्वारा अनुमोदित किए गए प्रस्ताव पर लोक सभा के सदस्य, श्री ओम बिरला को लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

राज्य सभा के नेता

2.6 श्री थावरचन्द गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 7 जून, 2019 से राज्य सभा के नेता हैं।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.7 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते/सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.8 दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के तीन सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
17वां	31 जनवरी, 2019 से 13 फरवरी, 2019	10	14
राज्य सभा			
248वां	31 जनवरी, 2019 से 13 फरवरी, 2019	10	14

सत्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
पहला	17 जून, 2019 से 06 अगस्त, 2019	37	51
दूसरा	18 नवंबर, 2019 से 13 दिसंबर, 2019	20	26
राज्य सभा			
249वां	20 जून, 2019 से 07 अगस्त, 2019	35	49
250वां	18 नवंबर, 2019 से 13 दिसंबर, 2019	20	26

(ii) सत्रावसान

2.9 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
16वां	08 जनवरी, 2019	10 जनवरी, 2019
17वां	13 फरवरी, 2019	14 फरवरी, 2019
राज्य सभा		
247वां	09 जनवरी, 2019	10 जनवरी, 2019
248वां	13 फरवरी, 2019	14 फरवरी, 2019

सत्रहवीं लोक सभा		
सत्र	तारीख	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	सत्रावसान
पहला	06 अगस्त, 2019	08 अगस्त, 2019
दूसरा	13 दिसंबर, 2019	13 दिसंबर, 2019
राज्य सभा		
249वां	07 अगस्त, 2019	08 अगस्त, 2019
250वां	13 दिसंबर, 2019	13 दिसंबर, 2019

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सत्रहवीं लोक सभा)					
लोक सभा	**मतदान की अंतिम तारीख**	**गठन की तारीख**	**पहली बैठक की तारीख**	**कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]**	**भंग होने की तारीख**
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019	17.06.2019	16.06.2024	----

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 राष्ट्रपति द्वारा कलैंडर वर्ष 2019 के पहले सत्र और सत्रहवीं लोक सभा के पहले सत्र के आरंभ में क्रमश: **31 जनवरी, 2019 और 20 जून, 2019** को अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

सोलहवीं लोक सभा का 17वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री हुकुमदेव नारायण यादव (प्रस्तावक) श्री जगदंबिका पाल (अनुमोदक)	5 और 7 फरवरी, 2019 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 248वां सत्र	
श्री भूपेन्द्र यादव (प्रस्तावक) श्री विजय गोयल (अनुमोदक)	6, 7 और 13 फरवरी, 2019 **(स्वीकृत)**

सत्रहवीं लोक सभा का पहला सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री हुकुमदेव नारायण यादव (प्रस्तावक) श्री जगदंबिका पाल (अनुमोदक)	24 और 25 जून, 2019 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 249वां सत्र	
श्री जगत प्रकाश नड्डा (प्रस्तावक) श्रीमती सम्पतिया उइके (अनुमोदक)	24, 25 और 26 जून, 2019 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: सत्रारम्भ से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, 16 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। 15 अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक - एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और

राज्य सभा के पटल पर रखी गई। उनके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न विवरणों की सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	**अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख**	**सभा पटल पर रखने की तारीख**		**अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुर:स्थापन**	**विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें**		**स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या**
		लोक सभा	**राज्य सभा**		**लोक सभा**	**राज्य सभा**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 1)	04.02.19	04.02.19	--	--	--	--
2	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 2)	04.02.19	04.02.19	--	--	--	--
3	कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 3)	04.02.19	04.02.19	--	--	--	--
4	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 4)	20.06.19	20.06.19	21.06.19	25.07.19	30.07.2019	2019 का 20 31.07.2019
5	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 5)	20.06.19	20.06.19	27.06.19	02.07.19	04.07.19	2019 का 12 16.07.2019
6	कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 6)	20.06.19	20.06.19	25.07.19	27.07.19	30.07.19	2019 का 22 31.07.2019
7	अविनयमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 7)	20.06.19	20.06.19	19.07.19	24.07.19	29.07.19	2019 का 31 31.07.2019
8	जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 8)	20.06.19	20.06.19	24.06.19	28.06.19	01.07.19	2019 का 09 09.07.2019
9	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 9)	20.06.19	20.06.19	24.06.19	04.07.19	08.07.19	2019 का 14 23.07.2019
10	नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 10)	20.06.19	20.06.19	03.07.19	10.07.19	18.07.19	2019 का 17 26.07.2019
11	होमियोपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 11)	20.06.19	20.06.19	21.06.19	27.06.19	02.07.19	2019 का 11 15.07.2019
12	विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 12)	20.06.19	20.06.19	24.06.19	26.06.19	27.06.19	2019 का 08 06.07.2019
13	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 13)	20.06.19	20.06.19	27.06.19	01.07.19	02.07.19	2019 का 10 09.07.2019

14	इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 (2019 का 14)	18.11.19	18.11.19	22.11.19	27.11.19	02.12.19	2019 का 42 05.12.2019
15	कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 15)	18.11.19	18.11.19	25.11.19	02.12.19	05.12.19	2019 का 46 11.12.2019
16	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019	--	--	--	--	--	--

3.8 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2019 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08

2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	16

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस(आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979 तक; कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)

दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी, 26 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक)
सत्रहवीं लोक सभा	25 मई, 2019 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी, 30 मई, 2019 से आगे)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

<u>एक झलक</u>

- वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट 05 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 49 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी बैठकें 28 जनवरी, 2019 को अंतरिम बजट सत्र, 2019 से पहले और 04 नवंबर, 2019 को शीतकालीन सत्र, 2019 से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव

जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी दो बैठकें आयोजित की गई - एक बैठक 4 जून, 2019 को बजट सत्र, 2019 से पहले और दूसरी बैठक 05 नवंबर, 2019 को शीतकालीन सत्र, 2019 से पहले। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए दिनांक 31.01.2019 और 17.11.2019 को विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठकें बुलाई। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकें।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में नौ वक्तव्य और राज्य सभा में नौ वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की क्रमश: 75 और 72 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 151 मदों (लोक सभा - 65, राज्य सभा - 86) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 संसद के शीतकालीन सत्र, 2018 (सोलहवीं लोक सभा का 16वां सत्र और राज्य सभा का 247वां सत्र) की समाप्ति पर कुल 74 विधेयक (लोक सभा में 25 विधेयक और राज्य सभा में 49 विधयेक) लंबित थे। अंतरिम बजट सत्र, 2019 के दौरान, 9 विधेयक (03 विधेयक लोक सभा में और 06 विधेयक राज्य सभा में) पुरस्थापित किए गए तथा दोनों सदनों द्वारा 4 विधेयक पारित किए गए इस प्रकार कुल लंबित विधेयक 79 हो गए। 25 मई, 2019 को सोलहवीं लोक सभा के विघटन पर, लोक सभा में लंबित 24 विधेयक तथा लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा में लंबित 22 विधेयक संविधान के अनुच्छेद 107(5) की शर्तों के अनुसार व्यपगत हो गए (**परिशिष्ट-2**)। इससे राज्य सभा में कुल 33 विधेयक लंबित रह गए। सत्रहवीं लोक सभा के गठन के पश्चात, 58 विधेयक (51 विधेयक लोक सभा में और 07 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए, इस प्रकार लंबित विधेयकों की कुल संख्या 91 हो गई। इनमें से दोनों सदनों द्वारा 45 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-3**) और एक विधेयक को लोक सभा में वापस लिया गया। 04 विधेयकों को राज्य सभा में वापस लिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र, 2019 (सत्रहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र और राज्य सभा का 250वां सत्र) की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 41 विधेयक (लोक सभा में 09 विधेयक और राज्य सभा में 32 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-4** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट 05 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्देशित विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है। वर्ष के दौरान, विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन नहीं होने के कारण संसद का कोई मध्यावकाश नहीं रखा गया था।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट और वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5क और 5ख**)।

4.11 16वीं लोक सभा का 17वां सत्र और राज्य सभा का 248वां सत्र मुख्य रूप से 31 जुलाई, 2019 को समाप्त होने वाली चार मास की अवधि के लिए अंतरिम बजट, 2019 के लिए लेखानुदान हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी, 2019 से बुलाया गया था। इसका उद्देश्य नई लोक सभा द्वारा केंद्रीय बजट के पारित कर दिए जाने तक भारत की संचित निधि में से व्यय की पूर्ति करने में केंद्रीय सरकार को सक्षम बनाना था। सदन में लेखानुदान पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा को सुकर बनाने के लिए कलैंडर वर्ष 2018 के लिए मंत्रालयों की संक्षेप में गतिविधियों की एक रिपोर्ट संसद सदस्यों में परिचालन हेतु तैयार की गई थी।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.12 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.13 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय

के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
(i)	विधायी	172	12	137	40	38.24%	45.22%
(ii)	वित्तीय	78	32	26	16	17.44%	08.63%
(iii)	गैर-वित्तीय	199	35	140	29	44.32%	46.15%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	**बैठक का कुल वास्तविक समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत**
	घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	
सत्रहवां (16वीं लोक सभा)	38	35	11	51	23.49%
पहला (17वीं लोक सभा)	280	41	---	---	-----
दूसरा (17वीं लोक सभा)	131	03	10	18	7.28 %
राज्य सभा					
248वां	03	07	41	18	92.98%
249वां	195	24	19	34	9.10%
250वां	105	54	11	52	10.07%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, राज्य सभा में 6 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। लोक सभा में 2 और राज्य सभा में 4 अल्पावधि चर्चाएं हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या
(वर्ष 1952 से 2019 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58

1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	67	65	49

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय घंटे मिनट
1	श्री मनीष तिवारी ने वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का मामला उठाया।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	19.11.2019 20.11.2019 22.11.2019	07 - 49 (चर्चा पूरी हुई)
2	श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने विभिन्न कारणों से फसल के नुकसान और किसानों पर उसके प्रभाव पर चर्चा का मामला उठाया।	कृषि और किसान कल्याण	05.12.2019 12.12.2019	07 - 23 (चर्चा पूरी हुई)

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय घंटे मिनट
1.	देश में पेयजल की आपूर्ति सहित जल संकट की चुनौतियों पर चर्चा। (श्री संजय सिंह)	जल शक्ति	26.06.2019	02 - 37 (चर्चा पूरी हुई)
2.	देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा। (श्री डेरेक ओब्राइन)	विधि और न्याय	03.07.2019	02 - 54 (चर्चा पूरी हुई)

3.	कैंसर के मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं और सस्ता उपचार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा। (श्री विशंभर प्रसाद निषाद)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	31.07.2019	02 - 05 (चर्चा पूरी हुई)
4.	देश में आर्थिक स्थिति पर चर्चा। (श्री आनंद शर्मा)	वित्त	27.11.2019	03 - 18 (चर्चा पूरी हुई)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:-

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय घंटे मिनट
1.	श्री रेवती रमन सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान देश में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों की ओर आकर्षित किया।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	27.06.2019	01 - 20 (चर्चा पूरी हुई)
2.	श्री आर.के. सिन्हा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूली बच्चों में बढ़ती नशीली दवाओं की लत की रिपोर्ट से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित किया।	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	04.07.2019	02 - 19 (चर्चा पूरी हुई)
3.	श्रीमती कहकशां परवीन ने महिला और बाल विकास मंत्री का ध्यान महिलाओं और बच्चों में कुपोषण से संबंधित मुद्दे की ओर, विशेषकर 'पोषण अभियान' के संदर्भ की ओर आकर्षित किया।	महिला और बाल विकास	17.07.2019	01 - 02 (चर्चा पूरी हुई)
4.	श्री दिग्विजय सिंह ने व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा से समझौता करने के लिए स्पाइवेयर पेगासस के कथित उपयोग की ओर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	28.11.2019	02 - 11 (चर्चा पूरी हुई)
5.	कुमारी शैलजा ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान देश में विशेष रूप से दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित किया।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	21.11.2019	02 - 57 (चर्चा पूरी हुई)

6.	डॉ. के.वी. पी. रामचंद्र राव ने उभरते हुए जल संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता और जल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की ओर जल शक्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	जल शक्ति	10.12.2019	01 - 13 (चर्चा पूरी हुई)

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट
1.	आयुष	15.07.2019	03 -	23

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रतिवेदित अवधि के दौरान छह बैठकें आयोजित की जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की तारीख	प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया
1.	9 जनवरी, 2019	(i) शीतकालीन सत्र, 2018 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों (6 लोक सभा में और 1 राज्य सभा में)/संकल्पों (3 लोक सभा में और 3 राज्य सभा में) का अनुसमर्थन। (iii) अंतरिम बजट सत्र, 2019 का बुलाया जाना।
2.	13 फरवरी, 2019	(i) अंतरिम बजट सत्र, 2019 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों (3 लोक सभा में और 2 राज्य सभा में) का अनुसमर्थन।
3.	25 जुलाई, 2019	सत्रहवीं लोक सभा के पहले सत्र और राज्य सभा के 249वें सत्र को 7 अगस्त, 2019 तक बढ़ाना।

4.	6 अगस्त, 2019	(i) बजट सत्र, 2019 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों (6 लोक सभा में और 7 राज्य सभा में)/संकल्पों (7 लोक सभा में और 6 राज्य सभा में) का अनुसमर्थन।
5.	16 अक्तूबर, 2019	शीतकालीन सत्र, 2019 का बुलाया जाना
6.	13 दिसंबर, 2019	(i) शीतकालीन सत्र, 2019 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों (4 लोक सभा में और 4 राज्य सभा में)/संकल्पों (5 लोक सभा में और 4 राज्य सभा में) का अनुसमर्थन।

5.5 दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 259 विधेयक (175 विधेयक लोक सभा में और 84 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	भारतीय पर्यटन प्रोत्साहन निगम विधेयक, 2015 (श्री निशिकांत दूबे)	28.12.2018 08.02.2019	निर्णय नहीं हुआ (16वीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया)
2.	अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 (श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल)	12.07.2019 27.07.2019 22.11.2019	निर्णय नहीं हुआ (16वीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया)
राज्य सभा			
1.	संसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2017 (श्री नरेश गुजराल)	03.08.2018 21.06.2019	अस्वीकृत
2.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 330क और 332क का अंत:स्थापन) (श्री विजयसाई रेड्डी)	21.06.2019 12.07.2019	अस्वीकृत
3.	मृत्यु दण्ड उन्मूलन विधेयक, 2016 (श्री प्रदीप टम्टा)	12.07.2019 26.07.2019	वापस लिया गया
4.	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2014 (प्रो. एम.वी. राजीव गौडा)	27.07.2019 22.11.2019 06.12.2019	निर्णय नहीं हुआ

5.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 51क का संशोधन) (श्री प्रभात झा)	22.11.2019 06.12.2019	वापस लिया गया
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली वित्तीय सेवाओं, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश (विनियमन) विधेयक, 2018	06.12.2019	निर्णय नहीं हुआ

दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**

राज्य सभा			
1.	संविधान में संशोधन करना ताकि एक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को पूरे देश में उस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति माना जा सके। (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)	10.06.2018	अस्वीकृत
2.	देश में विधवाओं के कल्याण के लिए उपयुक्त विधान। (श्री तिरुचि शिवा)	10.08.2018 04.01.2019	अस्वीकृत
3.	भारित सूचकांक प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए व्यक्तियों के पिछड़ेपन और सूचनाओं की जांच करने के लिए नियमित अंतराल पर सर्वेक्षण आयोजित करना। (डॉ. विकास महात्मे)	04.01.2019	वापस लिया गया

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2019 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956

4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
	(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक	
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रह्लाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

अध्याय - 6

अश्वासनों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 593 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 406 आश्वासन निकाले गए।
- लोक सभा में दिए गए 704 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 349 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षो से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 1 आश्वासन और राज्य सभा में 43 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। इन आश्वासनों के उद्धरण ऑनलाइन आश्वासन निगराणी प्रणाली पर भी अपलोड किए जाते हैं। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय, इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होने की संभावना होती है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा यथास्थिति लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती है।

6.5 मंत्रालय में ऑनलाइन आश्वासन मॉनीटरन प्रणाली (ओ.ए.एम.एस.) का शुभारंभ 9 अक्तूबर, 2018 को माननीय राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल द्वारा किया गया था। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन को सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों और संसद के दोनों सचिवालयों के परामर्श से किया था। यह साफ्टवेयर सदन की कार्यवाहियों में से आश्वासनों को निकालने से लेकर कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने तक पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। ओ.ए.एम.एस. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सभी सरकारी आश्वासनों का प्रबंधन करने के लिए एक वेब समर्थित प्रणाली है। इसे इसके सभी हितधारकों अर्थात राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचना के प्रकाशन के लिए एसएसएल पर होस्टेड एक प्रयोगकर्ता/नामावली आधारित सुरक्षित वेब पोर्टल के रूप में डिजाइन किया गया है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को एक यूजर नेम और पासवर्ड सौंपा गया है। वेब पोर्टल (ओ.ए.एम.एस.) पर सभी गतिविधियों को एप्लीकेशन प्रशासक अर्थात संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा मानीटर किया जाता है।

6.6 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 593 आश्वासन निकाले गए। इनमें से 99 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा कोई भी आश्वासन छोड़ा नहीं गया, 18 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा आश्वासन नहीं माना गया और शेष 476 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 705 आश्वासनों (2019 से संबंधित 99 आश्वासनों सहित) से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (1 आंशिक सहित) को सभा पटल पर रखा गया, 12 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया और 33 (2019 से संबंधित 18 आश्वासनों सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा आश्वासन नहीं माना गया। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा में दिये गये कुल 406 आश्वासनों में से, 72 को सभा के पटल पर रखा गया, किसी को भी सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ा नहीं गया, 70 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा आश्वासन नहीं माना गया तथा शेष 264 आश्वासन लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 392 आश्वासनों (2019 से संबंधित 72 आश्वासनों सहित) के कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (43 आंशिक सहित), को भी सभा पटल पर रखा गया, 14 आश्वासनों को छोड़ दिया गया और 96 (2019 से संबंधित 70 आश्वासनों सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा आश्वासन नहीं माना गया। वर्ष 2008 से 2019 के दौरान दिए गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	इस वर्ष के दौरान अंकित किए गए कुल आश्वासनों की संख्या	आश्वासनों की संख्या			चालू वर्ष के कुल कार्यान्वित आश्वासन	इस वर्ष के दौरान सभी वर्षों के कुल कार्यान्वित आश्वासन	शेष आगे ले जाया गया 60	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप	छोड़ दिए गए			शेष	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3+4+5)**	**7**	**8(2-6)**	**9**
2008	1104	1003	85	1	1089	814	15	98.64
2009	1297	1108	161	1	1270	932	27	97.92
2010	1599	1480	57	8	1545	1141	54	96.62

2011	1893	1660	126	12	1798	1152	95	94.98
2012	1946	1666	161	11	1838	1360	108	94.45
2013	1108	926	92	0	1018	1536	90	91.88
2014	1460	1175	105	6	1286	1252	174	88.08
2015	1331	1051	34	29	1114	1433	217	83.70
2016	1299	971	9	42	1022	1219	277	78.68
2017	853	541	1	28	570	1218	283	66.82
2018	692	329	0	41	370	920	322	53.47
2019	593	99	0	18	117	704	476	19.73
	15175	**12009**	**831**	**197**	**13037**		**2198**	**85.91**

राज्य सभा

वर्ष	इस वर्ष के दौरान अंकित किए गए कुल आश्वासनों की संख्या	आश्वासनों की संख्या			चालू वर्ष के कुल कार्यान्वित आश्वासन	इस वर्ष के दौरान सभी वर्षों के कुल कार्यान्वित आश्वासन	शेष आगे ले जाया गया 60	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप	छोड़ दिए गए			शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8(2-6)	9
2008	678	557	42	71	670	921	8	98.82
2009	996	856	82	52	990	572	6	99.40
2010	1082	909	71	62	1042	761	40	96.30
2011	1003	816	74	91	981	705	22	97.81
2012	1118	890	140	38	1068	943	50	95.53
2013	688	564	73	18	655	963	33	95.20
2014	1190	948	148	19	1115	782	75	93.70
2015	907	613	80	111	804	918	103	88.64
2016	991	514	26	303	843	833	148	85.07
2017	484	249	8	143	400	653	84	82.64
2018	413	173	5	86	264	413	149	63.92
2019	406	72	0	70	142	349	264	34.98
	9956	**7161**	**749**	**1064**	**8974**		**1016**	**90.14**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्मरण कराते हुए आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

इस मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.8 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 83वां, 84वां, 85वां, 86वां, 87वां, 88वां, 89वां और 90वां प्रतिवेदन दिनांक 08.01.2019 और 91वां 92वां, 93वां, 94वां, 95वां, 96वां, 97वां, 98वां, 99वां, 100वां और 101वां प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2019 को लोक सभा को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 73वां प्रतिवेदन 11.12.2019 को राज्य सभा को प्रस्तुत किया।

टिप्पणीः आश्वासन निगराणी प्रणाली को वर्ष 2008 में आरम्भ किया गया था और आश्वासनों के आंकड़े वर्ष 2008 से प्रणाली में डाले गए थे। लंबित आश्वासनों के पिछले शेष को आगे लाया गया। ऑनलाइन आश्वासन निगराणी प्रणाली की शुरूआत 9 अक्तुबर, 2018 से की गई। आकंड़ो का प्रारूप तदनुसार परिवर्तित कर दिया गया है।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- सोलहवीं लोक सभा दिनांक 25.05.2019 को भंग कर दी गई थी। इस कारण दिनांक 04.06.2014 से 13.02.2019 की अवधि के बीच लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए सभी 1889 मामले सोलहवीं लोक सभा के भंग होने के साथ व्यपगत हो गए।
- सत्रहवीं लोक सभा का गठन दिनांक 25.05.2019 को किया गया। दिनांक 17.06.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 853 और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के 342 मामले उठाए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 853 मामलों में से 347 मामलों के उत्तर दिए जा चुके है और 506 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 649 विशेष उल्लेखों में से 212 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 437 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों के लिए इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान नियम 377 के अधीन लोक सभा में 853 मामले उठाए गए। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2019 तक 347 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 506 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, सोलहवीं लोक सभा के विघटन पर कुल 307 मामले लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान विशेष उल्लेखों कुल 649 मामलों में से 342 मामले उठाए गए। इनमें से दिनांक 31.12.2019 तक 212 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 437 मामले अभी भी लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानत: उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

7.6 दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 2525 मामले (लोक सभा: 2000, राज्य सभा: 525) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 7 मामले (लोक सभा: 2, राज्य सभा: 5) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

<u>एक झलक</u>

- **विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।**
- **दिनांक 01.01.2019 से 13.12.2019 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 29 बैठकें आयोजित हुई।**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा में उद्गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं **(परिशिष्ट-7)**।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सत्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 37 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय (**परिशिष्ट-9)** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम जिससे परामर्शदात्री समिति संबद्ध है**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	दिनांक 21.01.2019 को केवाडिया कॉलोनी, गुजरात में
2	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	दिनांक 28.01.2019 को बेंगलूरू, कर्नाटक में
3	इस्पात मंत्रालय	दिनांक 28.01.2019 को गोवा में

अध्याय-9

संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

<u>एक झलक</u>

- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 3 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए नि:संदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, न तो किसी शिष्टमंडल ने विदेश का दौरा किया और न ही कोई शिष्टमंडल भारत आया।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.2 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए शिष्टमंडलों/बैठकों में नामांकित किया गया:-

1. डॉ. भारती प्रवीण पवार, संसद सदस्य (लोक सभा) 2. श्री अनुराग शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा) 3. श्रीमती सम्पतिया उइके, संसद सदस्य (राज्य सभा)	16-17 दिसंबर, 2019 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में स्वास्थ्य के लिए संसदविदों की क्षेत्रीय बैठक हेतु।

57वें भारत को जाने (नो इंडिया) कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बैठक

9.3 26 नवंबर, 2019 को, श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दस देशों के 40 प्रवासी युवाओं से मुलाकात की जो 57वें भारत को जाने (नो इंडिया) कार्यक्रम के प्रतिभागी थे।

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 21 संसद सदस्यों (2 सदस्य राज्य सभा के और 19 सदस्य लोक सभा के) ने अपने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.5 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.6 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.7 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश सरकार के गण्यमान्य व्यक्तियों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय -10

युवा संसद योजना

एक झलक:

- विभिन्न “युवा संसद प्रतियोगिता” योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
  - क) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए 1-2 अगस्त, 2019 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में।
  - ख) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए कसौली, कालीकट, गुवाहाटी, गोवा और गया में क्रमश: 8-9 मई, 2019, 14-15 मई, 2019, 21-22 मई, 2019, 28-29 मई, 2019 और 11-12 जून, 2019 को।
  - ग) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए राष्ट्रीय नवोदय लीडरशिप इंस्टीटयूट, पुरी और जवाहर नवोदय विद्यालय, नाडिया में क्रमश: 8-9 जुलाई, 2019 और 15-16 जुलाई, 2019 को।
- केंद्रीय विद्यालयों के लिए 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह, जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 और शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह एवं विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह क्रमश: 13 सितंबर, 2019, 20 सितंबर, 2019 और 27 सितंबर, 2019 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- देश के अभी तक अछूते वर्गों और स्थानों को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ - “संविधान दिवस” मनाने के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार

वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

1. <u>शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 और जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह

10.2 शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 और जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह 20 सितंबर, 2019 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, गुलाबी बाग, नई दिल्ली को प्रतियोगिता का विजेता बनने पर **"पंडित मोतीलाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती"** प्रदान की गई।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, गुलाबी बाग, नई दिल्ली के अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ]

54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.3 मंत्रालय ने 54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 1-2 अगस्त, 2019 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। आवश्यक पृष्ठभूमि सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए गए।

54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन

54वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन जनवरी, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

2. <u>केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.4 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। केद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 32 संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह 13 सितंबर, 2019 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर केंद्रीय विद्यालय, एन.डी.ए. खड़कवासला, पुणे को इस अवसर पर नेहरू चल वैजयन्ती प्रदान की गई। चार केंद्रीय विद्यालयों को अपने-अपने अंचलों में उनके योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक विजेता की ट्रॉफियां और 20 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय, एन.डी.ए. खड़कवासला, पुणे के अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ।]

32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.6 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के समन्वय से निम्न प्रकार से पांच अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

- पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम उत्तरी अंचल के लिए 8 और 9 मई, 2019 को केंद्रीय विद्यालय, ए.एफ.एस. कसौली, सोलन में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, गुडगांव और जम्मू से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम दक्षिणी अंचल के लिए 14 और 15 मई, 2019 को केंद्रीय विद्यालय नं.1, कालीकट में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, एरनाकुलम और जबलपुर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पूर्वी अंचल के लिए 21 और 22 मई, 2019 को केंद्रीय विद्यालय, गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात कोलकाता, गुवाहाटी, सिल्चर, तिनसुकिया और भुवनेश्वर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- चौथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पश्चिम अंचल के लिए 28 और 29 मई, 2019 को केंद्रीय विद्यालय, गोवा में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, आगरा और रांची से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- पांचवां अभिविन्यास पाठ्यक्रम केंद्रीय अंचल के लिए 11 और 12 जून, 2019 को केंद्रीय विद्यालय नं.2, ए.एस.सी. सेंटर, गया में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात

लखनऊ, पटना, भोपाल, वाराणसी और रायपुर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।

32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन

10.7 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 32वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 125 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिताएं पहले अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई। तत्पश्चात, 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच आयोजित की गई।

3. <u>जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.8 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 22 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं। प्रतियोगिता का 23वां संस्करण प्रगति पर है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 और शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह

10.9 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 और शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह 20 सितंबर, 2019 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आए जवाहर नवोदय विद्यालय, पथानामथिट्टा (केरल) ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को संसदीय चल वैजयन्ती और ट्रॉफी प्रदान की गई। सात जवाहर नवोदय विद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रों में उनके योग्य निष्पादन के लिए क्षेत्रीय विजेता ट्रॉफियां प्रदान की गई।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जवाहर नवोदय विद्यालय, पथानामथिट्टा (केरल) के अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ]

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.10 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से आयोजित किए:-

- पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 8 और 9 जुलाई, 2019 को नवोदय नेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट, पुरी में हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल और पुणे क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।
- दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 15 और 16 जुलाई, 2019 को जवाहर नवोदय विद्यालय, नाडिया में जयपुर, लखनऊ, पटना और शिलाँग क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन

10.11 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में किया गया। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर और तत्पश्चात अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। प्रतियोगिता का क्षेत्रीय स्तर का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन जनवरी, 2020 में आयोजित किया जाएगा।

4. <u>विश्वविद्‌यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.12 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्‌यालयों/कालेजों में कुल 15 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

विश्वविद्‌यालयों/कालेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का मूल्यांकन

10.13 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 45 विश्वविद्‌यालयों/कॉलेजों में किया गया। इन 45 संस्थानों को 7 समूहों में बांटा गया। समूह विजेता ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा को प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया।

विश्वविद्‌यालयों/कालेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.14 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का पुरस्कार वितरण समारोह 27 सितंबर, 2019 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्‌योग और लोक उद्‌यम राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और उसे नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 6 अन्य विश्वविद्‌यालयों/कॉलेजों को भी समूह स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्‌योग और लोक उद्‌यम राज्य मंत्री और अन्य गणयमान्य व्यक्ति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा के पुरस्कार विजेता विद्‌यार्थियों और अध्यापकों के साथ।]

5. <u>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.15 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुरोध पर एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, वर्ष 2018-19 में अपने-अपने राज्यों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ।

6. <u>"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" के वेब-पोर्टल का शुभारंभ</u>

10.16 भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ - "संविधान दिवस" मनाने के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करना है।

[26 नवंबर, 2019 को केंद्रीय कक्ष, संसद भवन में उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री की गरिमापूर्ण उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का उद्घाटन करते हुए]

अध्याय-11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें दिनांक 19.03.2019, 13.06.2019, 12.09.2019 और 16.12.2019 को आयोजित की गई। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। 15 जून, 2018 को पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 4 अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.7 मंत्रालय में 2 से 16 सितम्बर, 2019 के दौरान "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं संचालित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

पखवाड़े के उद्घाटन के दिन मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित सात प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता;
3. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता;
4. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता;
5. हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता;
6. सामान्य हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता; और
7. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

11.8 हिन्दी पखवाड़े का अंतिम समारोह 16 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 27 अधिकारियों/कर्मचारियों **(परिशिष्ट-10)** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

(बाएं से दाएं, आगे की पंक्ति में)
श्रीमती सुमन बारा, निदेशक, सुश्री मृगनयनी पाण्डेय, सहायक निदेशक, डॉ. आर.एस. शुक्ल, सचिव और डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 16 सितंबर, 2019 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर।

डॉ. आर.एस. शुक्ल, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 16 सितंबर, 2019 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए।

11.9 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग, अनुसंधान प्रकोष्ठ और नेवा प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	आश्वासन अनुभाग (लोक सभा)	100%
3.	आश्वासन अनुभाग (राज्य सभा)	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-।। अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-। अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.10 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रालय में 21 से 25 अक्तूबर, 2019 के दौरान हिंदी कार्यशाला का संचालन किया गया। कार्यशाला में 11 कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्‌वारा हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

अध्याय - 12

डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)

एक झलक

- नेवा प्रस्तावना।
- नेवा की मुख्य विशेषताएं।
- राज्य विधानमंडलों के क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाएं।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ज्ञान सहभाजन सत्र।

प्रस्तावना

12.1 भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के दृष्टिकोण के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) की पहचान की है। ई-विधान मंत्रिमंडल के अनुमोदन सहित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल ऐसी ही मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। सर्वोच्च समिति ने 15 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 'नोडल मंत्रालय' बनाने का निर्णय लिया था और हिमाचल प्रदेश विधान सभा की तर्ज पर विधानमंडलों वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए इसे राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में पुन:नामित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया।

12.2 नेवा की परियोजना की कुल अनुमानित लागत 673.94 करोड़ है और निधियन केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात 60:40, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य 90:10 और संघ राज्य क्षेत्र 100% के पैटर्न पर प्रस्तावित है।

12.3 डिजिटल इंडिया संबंधी सर्वोच्च समिति ने दिनांक 16.6.2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि ई-विधान के लिए निधियन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात, आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) ने 20 फरवरी, 2018 और 14 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी दो बैठकों में ई-विधान परियोजना के मूल्यांकन के लिए विचार किया और इस निर्देश के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दे दी कि मंत्रालय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकास और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के साथ क्षमता निर्माण उपायों पर आगे बढ़ सकता है।

12.4 नेवा की शुरूआत को बढ़ावा देने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया और उनकी उत्साहजनक प्रतिक्रिया के आधार पर, नेवा परियोजना के प्रारंभिक डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।

12.5 केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा, कार्य की प्रगति के मूल्यांकन और परियोजना निष्पादन टीम को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होगी और नए निदेशों/प्रस्ताव के लिए भी जिम्मेदार होगी तथा इसके सुचारू उत्थान तथा उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोजन हेतु देश में किसी अन्य विधानमंडल में अन्यत्र चल रहे कार्य के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करेगी। सीपीएमयू, राज्य स्तरीय परियोजना निगरानी इकाइयों (एसपीएमयू) के अनुरोध पर कार्यान्वयन एजेंसी को निधि जारी करने की सिफारिश करेगी।

नेवा की मुख्य विशेषताएं

12.6 कागज रहित विधानसभा या ई-विधानसभा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ई-लोकतंत्र के मूल तत्व को मजबूती प्रदान करते हुए विधानसभा के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल होते हैं। यह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की खोज, जानकारी के साझाकरण से लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधानसभा को अधिक पारदर्शी, सुलभ, उत्तरदायी और प्रभावी बनने में मदद कर सकता है।

12.7 नेवा का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना और ऐसा करके अनेक एप्लीकेशनों की जटिलता के बिना एक बृहत डेटा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का सृजन करना है।

12.8 नेवा एक सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है जो सदस्यों के पास उपलब्ध उपकरणों/टेबलेट में उनके द्वारा वांछित समस्त सूचना उपलब्ध कराके सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने योग्य बनाने और विधानमंडलों/विभाग की सभी शाखाओं को इस पर दक्षतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने के लिए तैयार की गई है। यह एक कुशल, समावेशी, शून्य उत्सर्जन-आधारित डेटाबेस के निर्माण के संदर्भ में लाभदायक होगी।

12.9 नेवा एक डिसेंट्रेलाइज्ड स्टेण्ड-अलोन जेनरिक डिजिटल एप्लिकेशन है जिसे .NET प्रौद्योगिकी पर एचपी नमूने पर डिजाइन किया गया है। यह स्थानीय डाटा सेंटर पर प्रतिबिंब के साथ राष्ट्रीय क्लाउड - मेघराज पर उपलब्ध कराया गया है और सभी 37 सदनों के लिए अनुरक्षण, सुरक्षा और आपदा पुन:प्राप्ति का ध्यान रखा गया है। इसका उपयोग सभी 37 राज्य विधानमंडलों और 4500 लोक प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, मणिपुर की विधानसभाएं इस एप्लिकेशन का उपयोग पहले ही शुरू कर चुकी हैं। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधानमंडलों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

12.10 यह पहल नागरिकों को एक सरल ढंग से विधेयकों, प्रश्न-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए कागज-पत्रों तक पहुंच प्रदान करके विधानमंडलों के कामकाज को उनके नजदीक लाकर न केवल लोकतंत्र को उनके नजदीक लाएगी, बल्कि नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक जुड़ाव का अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे वास्तविक लोकतंत्र को हासिल करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया जा सकेगा। केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई, संसदीय कार्य मंत्रालय वित्तीय सहायता के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्षमता निर्माण के संदर्भ में संपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। पूर्ण सहायता उपलब्ध कराने और अर्जित गति पर मदद करने के लिए एक मेहनती नेवा टीम मौजूद है।

12.11 यह एप्लीकेशन संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, सभापटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति की रिपोर्टों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सार, अस्थायी कलैंडर और मंत्रालयों के रोटेशन, समाचारों और प्रेस विज्ञप्तियों और संदर्भ सामग्रियों के अतिरिक्त सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समय-समय पर विधानमंडलों द्वारा जारी की जा रही या जारी की गई सूचनाओं, समाचारों जैसी समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध कराएगी। यह एप्लीकेशन समिति की बैठकों, उनकी कार्यसूची सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसे कि वेतन और भत्तों इत्यादि से संबंधित सूचना भी उपलब्ध कराएगी। इस एप्लीकेशन पर लाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा भी उपलब्ध है, लोक सभा/राज्य सभा टीवी, दूरदर्शन का सीधा प्रसारण राज्य विधानमंडलों के संबंध में समान सुविधा शामिल करने के प्रावधान के साथ पहले ही सक्षम कर दिया गया है।

12.12 नेवा मोबाइल ऐप पर सभी मंत्री/सांसद दैनिक कार्यवाहियों के प्रारंभ से 45 मिनट पूर्व प्रश्नों के उत्तरों, सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों सहित सदन के समस्त कार्य की जानकारी पा सकेंगे जबकि माननीय अध्यक्ष सदन का समस्त कार्य उसी समय प्राप्त कर सकेंगे जैसे ही वह उपलब्ध होगा। ई-विधान परियोजना का लक्ष्य एंड्रॉइड और आई.ओ.एस. प्लेटफार्म दोनों पर एक सामान्य नेवा एप्लीकेशन विकसित करना है।

12.13 सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय डिजाइन और व्यावहारिकता के मद्देनजर विभिन्न आशोधनों के अधीन रहते हुए नेवा संस्करण 1.0 और नवीनतम अद्यतित मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित की है।

12.14 हिमाचल प्रदेश पहले ही देश का पहला पूर्णत: डिजिटल विधानमंडल बन चुका है। अन्य राज्य जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश और सिक्किम भी इस परिवर्तन के विभिन्न चरणों में हैं और उनके प्रयास काफी प्रशंसनीय हैं। सभी विधानमंडलों में एकसमान कार्यचालन के साथ एकल मंच के विचार के पीछे, इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों के साथ प्रभावी और सरल अनुबंध सुनिश्चित करना है।

12.15 सदन के भीतर नेवा सदस्य के लॉगिन के माध्यम से सुलभ डिजिटल ई-बुक प्रारूप का समर्थन करेगा। नेवा-मोबाइल ऐप की सामग्री सदन के भीतर स्थापित टच-स्क्रीन डिवाइस के बिना भी मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से सुलभ होगी। भारत सरकार एनआईसी और हार्डवेयर, सुविधा केंद्रों और सभी 37 सदनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से नेवा का भरण-पोषण करेगी। इस योजना के तहत वित्त पोषण केंद्रीय प्रायोजित योजना पैटर्न पर आधारित होगा। प्रत्येक सदन के लिए क्लाउड सर्वर पर उपलब्ध अनुकूलित स्टैण्ड-अलोन संस्करण, प्रशिक्षण साहित्य और उसके लिए प्रयोगकर्ता मैनुअल को स्थान दिया गया है। राज्य अपने आगामी सत्रों के आंकड़ों के संकेत भेजना शुरू कर सकते हैं।

राज्य विधानमंडलों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला

12.16 परियोजना को मजबूत करने के लिए विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में उनके सचिवालयों, एन.आई.सी. के कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को इस एप्लीकेशन के बारे में प्रशिक्षण देने और अवगत कराने के लिए दो दिन की कार्यशालाएं भी संचालित की जा रही हैं। अब तक ऐसे प्रशिक्षण 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम, बिहार, मणिपुर,

नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मेघालय, पुदुचेरी, मिजोरम और तमिलनाडु में उनकी जगह पर प्रशिक्षण आयोजित करने में इन राज्यों के हार्दिक समर्थन के साथ समूचे भारत के 21 विधायी सदनों को शामिल करते हुए सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। अब तक संचालित की गई कार्यशालाओं को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

सीपीएमयू, नेवा द्वारा संचालित कार्यशालाओं का विवरण			
क्र.सं.	**नाम**	**तारीख**	**स्थान**
1.	पंजाब विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	17-18 अक्तूबर, 2018	पंजाब विधानसभा, चंडीगढ़
2.	तेलांगाना विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	23-24 अक्तूबर, 2018	तेलांगाना विधानसभा, हैदराबाद
3.	सिक्किम विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	2-3 नवंबर, 2018	सिक्किम विधानसभा, गंगटोक
4.	कर्नाटक विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	2-3 नवंबर, 2018	कर्नाटक विधानसभा, बंगलौर
5.	बिहार विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	5-6 नवंबर, 2018	बिहार विधानसभा और परिषद, पटना
6.	मणिपुर विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	19-20 नवंबर, 2018	मणिपुर विधानसभा, इंफाल
7.	नागालैंड विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	19-20 नवंबर, 2018	नागालैंड विधानसभा, कोहिमा
8.	अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	26-27 नवंबर, 2018	अरूणाचल प्रदेश विधानसभा, इटानगर
9.	गुजरात विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	26-27 नवंबर, 2018	गुजरात विधानसभा, गांधीनगर
10.	पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	3-4 दिसंबर, 2018	पंश्चिम बंगाल विधानसभा, कोलकाता
11.	असम विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	17-18 दिसंबर, 2018	असम विधानसभा, गुवाहाटी
12.	जम्मू और कश्मीर विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	12-13 मार्च, 2019	जम्मू और कश्मीर विधानसभा, जम्मू
13.	झारखंड विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	26-27 मार्च, 2019	झारखंड विधानसभा, रांची
14.	मेघालय विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	24-25 अप्रैल, 2019	मेघालय विधानसभा, शिलांग
15.	पुदुचेरी विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	4-5 जुलाई, 2019	पुदुचेरी विधानसभा, पुदुचेरी
16.	मिजोरम विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	23-24 जुलाई, 2019	मिजोरम विधानसभा, आइजोल

17.	तमिलनाडु विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	25-26 नवंबर, 2019	तमिलनाडु विधानसभा, चेन्नई

[डॉ. निर्मल सिंह, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विधानसभा 12-13 मार्च, 2019 को जम्मू और कश्मीर विधानसभा, जम्मू में जम्मू और कश्मीर विधानसभा और परिषद के लिए आयोजित चरण-। की अभिविन्यास कार्यशाला को संबोधित करते हुए।]

[श्री वी. नारायणसामी, मुख्य मंत्री, पुदुचेरी 4-5 जुलाई, 2019 को पुदुचेरी विधानसभा, पुदुचेरी में पुदुचेरी विधानसभा के लिए आयोजित चरण-। की अभिविन्यास कार्यशाला को संबोधित करते हुए।]

[26-27 मार्च, 2019 को झारखंड विधानसभा, रांची में झारखंड विधानसभा के लिए आयोजित चरण-। की अभिविन्यास कार्यशाला को संबोधित करते हुए।]

[23-24 जुलाई, 2019 को मिजोरम विधानसभा, आइजोल में मिजोरम विधानसभा के लिए आयोजित चरण-। की अभिविन्यास कार्यशाला]

[25-26 नवंबर, 2019 को तमिलनाडु विधानसभा, चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा के लिए आयोजित चरण-। की अभिविन्यास कार्यशाला]

12.17 पूर्ववर्ती क्षमता निर्माण उपायों के क्रम में, इन ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षणों का सीपीएमयू, नेवा, संसदीय सौध, दिल्ली में 13 विधायी सदनों के लिए तीन दिन की चरण-॥ की गहन प्रशिक्षण कार्यशालाओं के संचालन के साथ संवर्धन किया गया जिनमें नोडल अधिकारियों के दल और विभिन्न राज्यों के स्टाफ, जो चरण-। का प्रशिक्षण पहले ही पा चुके हैं, को प्रशिक्षण और अभ्यासिक सत्र में गहन प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2019 में संचालित कार्यशालाओं को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

सीपीएमयू, नेवा द्वारा संचालित चरण-॥ की कार्यशालाओं का विवरण		
नाम	**तारीख**	**स्थान**
पंजाब विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	11-13 मार्च, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
कर्नाटक विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	18-20 मार्च, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
कर्नाटक विधान परिषद के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	25-27 मार्च, 2019	
तेलंगाना विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	25-27 मार्च, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
गुजरात विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	3-5 अप्रैल, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
बिहार विधानसभा और परिषद के	10-12 अप्रैल, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध,

लिए चरण-॥ की कार्यशाला		नई दिल्ली
मणिपुर विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	22-24 अप्रैल, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
नागालैंड विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	29 अप्रैल - 1 मई, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
मेघालय विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	13-15 मई, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	16-18 मई, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	27-29 मई, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
असम विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	27-29 मई, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चरण-॥ की कार्यशाला	8-10 जनवरी, 2020	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली

[सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 22-24 अप्रैल, 2019 को आयोजित चरण-॥ की कार्यशाला में भाग लेने वाले मणिपुर विधानसभा के प्रतिभागियों का समूह फोटोग्राफ]

[सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 13-15 मई, 2019 को आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले मेघालय विधानसभा के प्रतिभागियों का समूह फोटोग्राफ]

[सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 16-18 मई, 2019 को आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के प्रतिभागियों का समूह फोटोग्राफ]

[सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 27-29 मई, 2019 को आयोजित चरण-॥ की कार्यशाला में भाग लेने वाले असम विधानसभा और पश्चिम बंगाल के प्रतिभागियों से परस्पर संवाद करते हुए संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और उप महानिदेशक, एनआईसी।]

[सचिव और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में नेवा की प्रगति की समीक्षा करते हुए।]

नोडल अधिकारियों को ज्ञान अंतरण हेतु संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

12.18 ई-विधान परियोजना का नोडल मंत्रालय होने के नाते, संसदीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों में परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। परियोजना के लिए राज्य

सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी और एन.आई.सी. के अधिकारी ई-विधान एमएमपी की सफलता के लिए सर्वोपरि हैं। श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानमंडल वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों और राज्यों में एन.आई.सी. के अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद किया था। इस अवसर पर, डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री नरिन्दर सिंह अरनेजा, उप महानिदेशक, एन.आई.सी. और और श्री एस.के. सिन्हा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक भी उपस्थित थे।

12.19 इस परस्पर संवाद के दौरान, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने परियोजना की सफलता के लिए नोडल अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सूचना अधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर अत्यधिक बल दिया। सचिव ने वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के नए संस्करण और एप्लीकेशन के डिजाइन और निर्माण में सुधार के साथ सभी सदनों के लिए विकसित एप्लिकेशन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सीपीएमयू नेवा द्वारा राज्यों के प्रदर्शन के लिए तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा की। सदनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ परियोजना की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, सदनों को पेश आ रहे विभिन्न मुद्दों, चाहे तकनीकी हों, वित्तीय हों या प्रशासनिक हों, को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया था।

12.20 सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सीपीएमयू, नेवा की टीम के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एप्लीकेशन से संबंधित विभिन्न मामलों का समाधान करने के अतिरिक्त राज्य विधानमंडलों के नोडल अधिकारियों को उसके मूल प्रचालन से अवगत कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देते रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न नोडल अधिकारियों के विभिन्न विचार और सुझाव मांगने के लिए लाभदायक सिद्ध हुई हैं जो इस परियोजना को आगे ले जाने में एक प्रेरणादायक कारक रहा है।

12.21 क्षमता निर्माण के उपायों को और मजबूत करने के लिए, 6 दिसंबर, 2019 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसे श्री नरिंदर सिंह अरनेजा, उप महानिदेशक, एनआईसी और श्री एस.के. सिन्हा द्वारा सीपीएमयू नेवा टीम के सदस्यों के साथ संचालित किया गया था। उप महानिदेशक, एनआईसी ने एंड्रॉयड और iOS प्लेटफार्मों में मोबाइल ऐप के प्रथम संस्करण के जारीकरण के साथ नेवा एप्लीकेशन में

शामिल की गई नई विशेषताओं का सक्षिप्त विवरण दिया जैसे कि बहु-भाषा अनुपालन, प्रत्येक सदन के लिए सब-डोमेन का सृजन, विधेयक प्रबंधन प्रणाली पर पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति, समिति प्रबंधन प्रणाली, सीएमएस सृजन, प्रयोगकर्ता लॉग-इन के लिए ईमेल आईडी के साथ आधार नंबर का प्रतिस्थापन। सभी सदनों से एप्लीककेशन के उपयोग में किसी अन्य मुद्दे/बाधा के बारे में पूछा गया। उन्होंने ऑनलाइन प्रश्न प्रस्तुतिकरण प्रणाली को अपनाने के लिए बिहार परिषद की भी प्रशंसा की, जिसका उपयोग सदस्यों द्वारा भी किया जा रहा है। एप्लीकेशन के लिए विकसित नए मॉड्यूल के बारे में सदनों का एक संक्षिप्त सार भी दिया गया था अर्थात विधेयक प्रबंधन प्रणाली और समिति प्रबंधन प्रणाली। इसके अलावा, उन्होंने सदनों से आग्रह किया कि इसके बाद इन मॉड्यूल पर काम करें और संवर्धन के लिए अपने सुझाव दें, जिसके लिए आगे प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है।

12.22 अब तक 13 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न हितधारकों, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के नोडल अधिकारी, एन.आई.सी. कार्मिकों के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी शामिल हैं, के लिए संचालित की जा चुकी हैं। शुरूआती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित समय (स्लॉट्स) में किया गया था जहां पब्लिक साइट के लिए मास्टर डाटा ऐंट्री (स्तर I), प्रश्नों/सूचनाओं का प्रसंस्करण (स्तर II), विभागों से उत्तर/अन्य दस्तावेज भेजने के साथ-साथ समिति के प्रतिवेदन (स्तर III) के लिए चरणों/स्तरों में प्रशिक्षण दिया गया था। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए विभिन्न इकाइयों से आज तक अनुमानित प्रतिभागिता लगभग 1000 श्रम घंटे रही है।

क्र.सं.	**सीपीएमयू, नेवा द्वारा संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों का विवरण**
1	26 अप्रैल, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
2	28 मई, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
3	10 जुलाई, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
4	27 जुलाई, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
5	3 अगस्त, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
6	10 अगस्त, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
7	24 अगस्त, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
8	7 सितंबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
9	14 सितंबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
10	5 अक्तूबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
11	2 नवंबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
12	25 फरवरी, 2019 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र
13	6 दिसंबर, 2019 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र

राज्य सभा सचिवालय के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)" पर संवादात्मक सत्र

12.23 9 अप्रैल, 2019 को समिति कक्ष 4, संसदीय सौध, नई दिल्ली में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक राज्य सभा के विभिन्न अधिकारियों हेतु, उन्हें नेवा एप्लीकेशन को अपनाने की दिशा में उन्मुख करने और इस प्रकार उनके आंकड़ों को आगामी सत्रों के लिए नेवा प्लेटफार्म पर लाने के लिए सचिव,

संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में संसदीय कार्य मंत्रालय की सीपीएमयू (केंद्रीय परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट) द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया।

12.24 इस सत्र में श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव; श्री रोहतास, संयुक्त सचिव; श्री जगमोहन सुंद्रियाल, संयुक्त सचिव, श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय; डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, श्री शशि भूषण, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय; श्री अरुण शर्मा, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय; श्री स्वराबजी बी, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय; श्री त्रिलोकनाथ पांडे, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय; श्री एन.एस. अरनेजा, उप महानिदेशक, एनआईसी, श्री एस.के. सिन्हा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राज्य सभा सचिवालय के अन्य सभी अधिकारियों/शाखा प्रमुखों और स्टाफ (लगभग 60 प्रतिभागियों) ने भाग लिया।

12.25 राज्य सभा सचिवालय ने इस कार्यशाला में सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए एक बिंदु बनाया ताकि एप्लीकेशन के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ उन विशेषताओं और मॉड्यूलों को भी समझा जा सके जो एप्लीकेशन के साथ एकीकृत हैं और जो एक परिपूर्ण तरीके से नेवा परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को जोड़ते हैं। अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ सत्र में भाग लिया और एप्लीकेशन की मुख्य कार्यक्षमता के बारे में सीखने में बहुत अधिक जिज्ञासा दिखाई। श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. सत्य प्रकाश खटाना, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने सत्र के दौरान शुरू में राज्य सभा के सभी अधिकारियों का स्वागत किया। संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुरूआत में नेवा की पृष्ठभूमि, संभावना और उद्देश्यों के साथ इसकी प्रमुख विशेषताओं को उजागर करते हुए इसका परिचय दिया, जो इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न अन्य परियोजनाओं से अलग करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय, जो इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है, 5374 सदस्यों के साथ विधानमंडलों और संसद सहित सभी 40 सदनों को शामिल करते हुए और इस तरह से सभी को एक मंच पर लाते हुए और इस प्रकार 'एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन' के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए नेवा के रूप में ई-विधान को आरंभ कर रहा है।

12.26 नेवा के संक्षिप्त परिचय के पश्चात वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के उद्देश्यों, गुणों, कार्य योजना और डिजाइन के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने इस एप्लीकेशन को अपनाने के पीछे मुख्य विचार पर भी जोर दिया जो इसे आज तक विकसित विभिन्न एप्लीकेशनों से बेहतर बनाता है। प्रतिभागियों को बताया गया कि सूचना का डिजिटलीकरण, उपलब्धता और प्रयोज्यता किस प्रकार सदनों और उसके सदस्यों के कीमती समय, धन, ऊर्जा और संसाधनों की बचत कर सकती है और इस प्रकार उनकी दक्षता को कई गुना बढ़ा सकती है। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसदीय प्रक्रियाओं में पेश आने वाले सभी मुद्दों का समाधान करने और इसे एक सफल परियोजना बनाने के लिए नेवा टीम के साथ-साथ दोनों सदनों की सामूहिक भागीदारी की वकालत की।

12.27 सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के उद्घाटन सत्र के पश्चात तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया, जिसमें श्री अर्पित त्यागी, नेवा समन्वयक, सुश्री प्रियंका बर्थवाल और श्री समीर वार्ष्णेय, डीबीए नेवा टीम के सदस्य, सीपीएमयू ने संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का संक्षिप्त विवरण दिया। पहले तकनीकी सत्र में इन हाउस एप्लीकेशन, डिजिटल इन हाउस ई-बुक का अवलोकन शामिल है, जो सदस्यों को उनके सामने सदन में स्थापित टेबलेट्स पर सदन के कार्य की समस्त जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। दूसरे तकनीकी सत्र में मास्टर डेटा, प्रश्न

प्रसंस्करण, कार्यसूची उतपत्ति, सूचना प्रसंस्करण जैसे विभिन्न मॉड्यूलों पर व्यापक व्याख्यान शामिल थे। दो तकनीकी सत्रों के बाद पूछताछ सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने सचिवालय के काम में उन्हें पेश आने वाले मुद्दों के बारे में कई बाते उठाईं। उन्हें सुझाव या आगे के विचारों के साथ आने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया जो इस परियोजना को अगली श्रेणी में ले जाने में मदद करेंगे। सभी मुद्दों का संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और नेवा टीम द्वारा समाधान किया गया। संयुक्त सचिव ने सभी अधिकारियों से एप्लीकेशन में प्रविष्टियां शुरू करने का आग्रह किया, जो अंततः उनके प्रमुख मॉड्यूलों को ऐप में मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा। दो तकनीकी सत्रों के बाद संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और समापन संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने सत्र में अपार सहयोग और सक्रिय भागीदारी के लिए सभी अधिकारियों की सराहना की और डिजिटल लोकतंत्र में एक बड़ा मील-पत्थर उपार्जित करने में परियोजना की सफलता के लिए सीपीएमयू टीम के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करते हुए एप्लीकेशन को अपनाने में उन्हें सीपीएमयू, नेवा टीम से निरंतर मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद, प्रतिभागियों को संयुक्त सचिव द्वारा सराहना और प्रोत्साहन के संकेत के रूप में प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।

[9 अप्रैल, 2019 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले राज्य सभा सचिवालय के प्रतिभागियों का समूह फोटोग्राफ]

<u>भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति द्वारा नेवा की समीक्षा</u>

12.28 श्री एम. वेंकैया नायडु, भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उप-राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर एक प्रस्तुति दी गई।

12.29 सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेवा का परिचय और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताया, उसके पश्चात वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के उद्देश्यों, गुणों, कार्य योजना और डिजाइन के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों को बताया गया कि सूचना का डिजिटलीकरण, उपलब्धता और प्रयोज्यता से सदनों और उसके सदस्यों के कीमती समय, धन, ऊर्जा और संसाधनों की बचत करती है और इस प्रकार उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नेवा सदन प्रबंधन एप्लीकेशनों के माध्यम से सदन के प्रबंधन में अध्यक्ष की भी मदद करेगा। इस अकेली एप्लीकेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें वर्तमान में राज्य सभा सचिवालय में परिचालित एप्लीकेशनों का स्थान लेने की क्षमता है, जिसके लिए दोनों सदनों से सामूहिक और सहयोगात्मक प्रयास की अपेक्षा की जाती है।

12.30 विस्तृत प्रस्तुति के पश्चात प्रश्न सत्र और विचार-विमर्श हुआ जिसमें प्रतिभागियों ने उन्हें पेश आ रही समस्याओं से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों को उठाया। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने पीपीटी के माध्यम से भी दर्शाया कि नेवा 'एज इट हेप्पन्स' के सिद्धांत पर काम करती है अर्थात सूचना को उसके घटित होते ही पब्लिक पोर्टल पर प्रकाशित करती है और ऐसे प्रकाशन के समय को अध्यक्ष के निदेशों के आलोक में आवश्यकतानुसार अनुरूपित किया जा सकता है।

12.31 सत्र अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन और समापन टिप्पणी के साथ समाप्त हुआ जिसमें उन्होंने नेवा एप्लीकेशन के विकास के माध्यम से विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने की दिशा में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई पहल और प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा, अध्यक्ष ने कहा कि नेवा एप्लीकेशन सदन में सरकारी कार्य के निष्पादन में सदस्यों की सहायता करने वाला उपकरण है और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि दोनों सचिवालयों के अधिकारीगण अपने-अपने सदनों में नेवा को उपयोग करने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए बैठक कर सकते हैं।

[7 मई, 2019 को उप-राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति द्वारा नेवा की समीक्षा]

<u>डॉ. सूर्या नारायण पात्रो, माननीय अध्यक्ष, ओडीशा विधानसभा के समक्ष राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन की प्रस्तुति</u>

12.32 डॉ. सूर्या नारायण पात्रो, माननीय अध्यक्ष, ओडीशा विधानसभा की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2019 को अपराह्न 6.00 बजे विधानसभा सचिवालय, भुवनेश्वर में आयोजित बैठक में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर एक प्रस्तुति दी गई।

12.33 नेवा का परिचय देते हुए, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से नेवा की प्रमुख विशेषताओं के साथ-साथ इसकी पृष्ठभूमि, विस्तार और उद्देश्यों के बारे में बताया। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के उद्देश्यों, खूबियों, कार्य योजना और डिजाइन जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना सहित परियोजना की विस्तृत रूपरेखा को स्पष्ट किया। नेवा सदन प्रबंधन एप्लीकेशनों के माध्यम से सदन के प्रबंधन में अध्यक्ष की भी मदद करेगा। ओडीशा विधानसभा सचिवालय की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस अकेली एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है।

12.34 विस्तृत प्रस्तुति के पश्चात प्रश्न सत्र हुआ जिसमें प्रतिभागियों ने सचिवालय के कार्य में उन्हें पेश आ रही समस्याओं से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों को उठाया। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सभी मामलों का समाधान किया गया। ओडीशा विधानसभा अध्यक्ष ने कर्मचारियों को निदेश दिया कि संसदीय कार्य मंत्रालय से समन्वय करके हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दौरा करें और उनके डिजिटल सदन का सीधा अनुभव प्राप्त करें। ओडीशा विधानसभा अध्यक्ष ने नेवा एप्लीकेशन के विकास के माध्यम से विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने की दिशा में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई पहल और प्रयासों की सराहना की और निदेश दिया कि उनकी विधानसभा में उनके सत्र के पश्चात एक अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। इसी दौरान, सचिवालय वेबसाइटों के लिए बुनियादी डेटा जैसे कि मास्टर डाटा, समाचार अपलोड, नोटिस इत्यादि का अवलोकन करना जारी रख सकता है। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि एनआईसी के अधिकारियों को विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा सचिवालय में मजबूत नेटवर्क अवसंरचना (वाईफाई उपकरण इत्यादि) स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

[डॉ. सूर्या नारायण पात्रो, माननीय अध्यक्ष, ओडीशा विधानसभा के समक्ष राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) पर प्रस्तुति]

<u>सहायक सचिवों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम</u>

12.35 केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने 17 जुलाई, 2019 को मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आईएएस अधिकारियों) के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धतियों पर एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया। श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री की सम्मानीय उपस्थिति में पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में दोनों राज्य मंत्रियों, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री वी. मुरलीधरन ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और नए भारत के निर्माण के उद्देश्य के लिए नए अधिकारियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित शीर्ष अधिकारियों में श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री अमित खरे, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय शामिल थे। सहायक सचिवों के लिए दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, पहली पावर प्वाइंट प्रस्तुति संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों को संसदीय मामलों की तकनीकों और जटिलताओं को समझाया। दूसरी प्रस्तुति राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभा को सूचित किया कि ई-विधान के प्रमुख घटक कागज रहित विधानसभा सत्र, सदन की समितियों का कागज रहित कार्यचालन और ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन हैं। भाग लेने वाले अधिकारियों ने पूरे आयोजन के लिए काफी उत्साह प्रदर्शित किया। पाठ्यक्रम में कुल 169 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अल्पकालिक पाठ्यक्रम युवा अधिकारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ और उनके ज्ञान और अनुभव के भंडार को और समृद्ध किया।

[17 जुलाई, 2019 को सहायक सचिवों के लिए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम]

<u>3 जून, 2019 को बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम</u>

12.36 केंद्रीय परियोजना प्रबंधन यूनिट (सीपीएमयू) ने बिहार विधान परिषद, पटना में 3 जून, 2019 को बिहार विधान परिषद के सदस्यों, सरकारी विभागों और सचिवालय के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। श्री हारून राशिद, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने परिषद के माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह साफ्टवेयर सदस्यों को अपने संसदीय कार्यों को निष्पादित करने में काफी मदद करेगा और उनको यह सुविधा प्राप्त होगी कि वे चित्रों (फोटोज) का उपयोग करते हुए सदन में सरकार को परिस्थिति की सूचना उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यों की सुविधा के लिए, विधान परिषद में नेवा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पूर्व में, बिहार सरकार के सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को नेवा के ऑनलाइन प्रश्न प्रसंस्करण मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए थे। कार्यकारी सभापति ने यह भी कहा कि इस साफ्टवेयर के उपयोग के कारण विभागों को उत्तर तैयार करने में और समय और सुविधा प्राप्त होगी। कार्यकारी सभापति ने कहा कि विभागों से आशा की जाती है कि विधान परिषद के आगामी सत्र में विभागों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों सहित सभी कागज-पत्र केवल नेवा के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

12.37 बिहार विधान परिषद देश का पहला सदन बन गया है जहां नेवा (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन) सॉफ्टवेयर के माध्यम से, माननीय सदस्य अपने मोबाइल फोन पर तारांकित, अतारांकित और अधिसूचित प्रश्न आदि पूछ सकते हैं। परिषद सचिवालय विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन प्रश्नों को नेवा मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वीकार कर रहा है। । प्रश्न भी नेवा के प्रश्न प्रसंस्करण प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं और प्रश्नों के लिए अंतिम सूची कार्य प्रवाह आधारित नेवा आर्किटेक्चर के माध्यम से ऑनलाइन तैयार की जाती है। यहां तक कि प्रश्न विभागों को ऑनलाइन भेजे जाते हैं और विभागों को अपना उत्तर ऑनलाइन भेजने की सुविधा है।

[बिहार विधान परिषद, पटना में 3 जून, 2019 को चरण-III की कार्यशाला में माननीय विधान परिषद सदस्यों का प्रशिक्षण]

5-6 सितंबर, 2019 को 7वीं अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

12.38 दो दिवसीय कार्यक्रम संयुक्त रूप से संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो, लोक सभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा 5-6 सितंबर, 2019 को अरुणाचल विधान सभा, इटानगर में विधायकों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा के तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर चर्चा की गई ताकि वे लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए खुद को समर्थ बना सकें।

12.39 श्री पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, श्री पी.डी. सोना, अध्यक्ष और श्री तेसाम पोंगते, उपाध्यक्ष द्वारा उद्घाटन के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई। शुरुआत में, श्री पेमा खांडू ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया और संसदीय कार्य की प्रक्रियाओं के उचित ज्ञान पर जोर देते हुए उल्लेख किया कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास बहुत जरूरी है ताकि लोकतंत्र अपने वास्तविक रूप में पनप सके। सदस्यों के लिए सर्वोत्तम और नवीनतम प्रौद्योगिकी और ज्ञान से लैस होने की जरूरत है ताकि वे विधानसभा की सार्थक और सकारात्मक कार्यवाहियों में पूर्व-सक्रिय रूप से भाग ले सकें। उन्होंने राज्य विधानसभा के डिजिटलीकरण के महत्व को भी रेखांकित किया, जिसके लिए केंद्र ने नेवा को आरंभ किया है और यह भी कहा कि विधानसभा के डिजिटलीकरण से राजकोष और पर्यावरण में योगदान करने वाले कागजात की बचत होगी।

12.40 विधानसभा अध्यक्ष श्री पी.डी. सोना ने अपने संबोधन में, लगभग सभी सदस्यों की उपस्थिति की सराहना की और आश्वासन दिया कि यह कार्यक्रम कोई आम प्रशिक्षण नहीं है और कहा कि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में विकसित होने के लिए सदस्यों हेतु ज्ञान अर्जित करना और आज के युग में जरूरी प्रौद्योगिकी में प्रवीणता हासिल करना वांछनीय है। दो दिवसीय कार्यक्रम में नेवा पर तकनीकी सत्रों के महत्व को स्वीकार करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में, उनको अनपढ़ बने रहने की नहीं ई-साक्षर बनने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा का नेवा परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही रूपांतरित और डिजीटल हो जाएगी और शायद वे आगामी सत्र में विधानसभा को ई-प्लेटफार्म पर चलाने में सक्षम होंगे।

12.41 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) की मुख्य विशेषताओं पर के संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। अरुणाचल प्रदेश के माननीय विधायकों के समक्ष प्रश्न प्रसंस्करण प्रणाली का प्रदर्शन किया गया और उन्हें नेवा के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अवगत कराया गया। माननीय सदस्य और उनके सहायक का स्टाफ सदन के कार्य तक पहुँचने तथा वेब और मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्न भेजने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने में मार्गदर्शन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के सभी विधायकों और विभागों के लिए लॉगिन पासवर्ड भी वितरित किए गए।

[संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 5-6 सितंबर, 2019 को अरूणाचल प्रदेश विधानसभा, इटानगर में अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के विधायकों को संबोधित करते हुए]

[अरूणाचल प्रदेश विधानसभा, इटानगर में 5-6 सितंबर, 2019 को आयोजित तीसरे चरण की कार्यशाला में माननीय विधायकों के वैयक्तिक/निजी सहायकों का प्रशिक्षण]

अध्याय - 13

सामान्य

<u>एक झलक</u>

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  - (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 85 संसद सदस्य (62 लोक सभा से और 23 राज्य सभा से); और
  - (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 116 संसद सदस्य (58 लोक सभा से और 58 राज्य सभा से)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 85 संसद सदस्यों (लोक सभा के 62 और राज्य सभा के 23) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-11** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-12** में दर्शाए गए रूप में 116 संसद सदस्यों (लोक सभा के 58 और राज्य सभा के 58) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

(i) सोलहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 57वां से 68वां प्रतिवेदन।

(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 156वां प्रतिवेदन।

(iii) सभापटल पर रखे गए कागज-पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा का 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां और 51वां प्रतिवेदन।

(iv) सभापटल पर रखे गए कागज-पत्रों संबंधी समिति, राज्य सभा का 156वां, 157वां और 158वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

13.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

13.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

13.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का संख्या 13) के माध्यम से संशोधन किया गया था जिसके द्वारा वेतन, भत्तों और पेंशन में दिनांक 01.04.2018 से वृद्धि की गई थी। साथ ही राज्य सभा के सभापति के वेतन में दिनांक 01.04.2018 से वृद्धि करने के लिए संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का संख्या 13) के माध्यम से संशोधन किया गया था।

13.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-13** और **परिशिष्ट-14** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.8 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के प्रतिवेदनों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 236वां, 237वां, 238वां, 239वां और 240वां प्रतिवेदन।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

13.9 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

13.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8-9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में अभिविन्यास पाठ्यक्रम

13.11 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय वर्ष 1985 से विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

13.12 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंततः पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

13.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति (विधायी कार्य) में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। एक अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन 2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारियों के लिए 17 जुलाई, 2019 को संसद भवन में किया गया और दूसरी कार्यशाला दिनांक 04.10.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के अनुरोध पर आयोजित की गई।

(2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारियों के लिए 17 जुलाई, 2019 को संसद भवन में अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया)

(दिनांक 04.10.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यशाला)

संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं

संसद सदस्यों का कल्याण

13.14 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

13.15 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

13.16 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

13.17 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री मदन लाल सैनी, संसद सदस्य (रा.स.) (भा.ज.पा.) के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई, जिनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिनांक 24.06.2019 को देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार के लिए स्वर्गीय श्री मदन लाल सैनी के पार्थिव शरीर को उसी दिन राजस्थान भेजा गया।

13.18 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री रामचन्द्र पासवान, संसद सदस्य (लो.स.) (लो.ज.पा.) के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई, जिनका दिनांक 21.07.2019 को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देहांत हो गया था और पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए दिनांक 22.07.2019 को पटना भेजा गया।

13.19 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री अरूण जेटली, संसद सदस्य (रा.स.) (भा.ज.पा.) के दुखद निधन पर भी सहायता प्रदान की गई, जिनका दिनांक 24.08.2019 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देहांत हो गया था।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

13.20 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

13.21 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात तक चलने वाली बैठक (बैठकों) के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

13.22 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

13.23 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई/बैठक की अध्यक्षता की गई	विषय	स्थान
1.	31.01.2019	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	संसद के अंतरिम बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
2.	16.02.2019	माननीय गृह मंत्री	14.02.2019 को पुलवामा, कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कायरतापूर्ण हमले से उत्पन्न स्थिति।	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली

3.	16.06.2019	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	संसद सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
4.	17.11.2019	माननीय संसदीय कार्य मंत्री	संसद सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली

संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक

13.24 दिनांक 19.06.2019 को, संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई थी माननीय प्रधानमंत्री पूरी बैठक के दौरान मौजूद थे। बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी:-

- संसद की उत्पादकता बढ़ाने के तरीके।
- एक देश एक चुनाव।
- स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक नए भारत का निर्माण।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम और वचनबद्धता।
- महत्वाकांक्षी जिलों का विकास।

अनुसंधान कार्य

13.25 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर हैंडबुक के लिए सामग्री की समीक्षा करता है/उसे अद्यतित करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग किए जाने पर संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर परामर्श/मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

13.26 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका को तैयार करता है और मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतित करता है तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

13.27 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किया जाता है।

13.28 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामलों और संसदीय सचिवों के कार्यों संबंधी मामलों को निपटाया जाता है।

13.29 दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, प्रकोष्ठ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका तथा सांख्यिकी पुस्तिका का संशोधन शामिल है।

13.30 वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2019-20 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बजट की स्थिति

13.31 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट अनुमान 2019-20		संशोधित अनुमान 2019-20		बजट अनुमान 2020-21		वास्तविक व्यय 2019-20 (31.12.2019 तक)	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य शीर्ष “2052” सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय	13.00 - स्थापना								
	13.00.01 - वेतन	--	119600	--	120500	--	127700	--	102605
	13.00.03 - समयोपरि भत्ता	--	150	--	200	--	200	--	129
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	--	1350	--	1200	--	1300	--	657
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	--	3500	--	4000	--	4000	--	2777

13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	--	24500	--	7600	--	25000	-	661
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	--	17000	--	17000	--	17000	--	13811
	13.00.16 - प्रकाशन	--	900	--	1100	--	1000	--	805
	13.00.20 - अन्य प्रशासनिक व्यय	--	6300	--	6300	--	9000	--	4628
	13.00.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	--	--	--	--	200	--	--
	13.00.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	--	--	--	--	2300	--	--
	13.00.50 - अन्य प्रभार	--	8000	--	10000	--	16500	--	7397
	13.96 - स्वच्छता कार्य योजना 13.96.50 -अन्य प्रभार	--	1000	--	1000	--	1000	--	300
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.13 - कार्यालय व्यय	--	11500	--	24900	--	10500	--	1334
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	--	--	--	--	500	--	--
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	--	--	--	--	500	--	--
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.31 - सहायता अनुदान	--	--	--	232400	--	288500	--	--
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**--**	**193800**	**--**	**426200**	**--**	**505200**	**--**	**135104**

दिव्यांग व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

12.31 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांग व्यक्तियों के मामलें में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

उन सरकारी विधेयकों की सूची जो सोलहवीं लोक सभा के विघटन पर संविधान के अनुच्छेद 107(5) की शर्तों के अनुसार व्यपगत हो गए

लोक सभा

I. संयुक्त समितियों को भेजे गए विधेयक

1. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015

II. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

2. उच्च न्यायालय (नाम परिपवर्तन) विधेयक, 2016
3. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
4. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017
5. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
6. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018
7. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018
8. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
9. बांध सुरक्षा विधेयक, 2018
10. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
11. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2018
12. व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2019
13. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

III. विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

14. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
15. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014
16. लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
17. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016
18. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016
19. अंतरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017
20. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017
21. चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018
22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018
23. मजदूरी संहिता, 2017

IV. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

24. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019

राज्य सभा

V. लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक

25. सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015
26. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015
27. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016
28. केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
29. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017
30. व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
31. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018
32. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018
33. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018
34. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2018
35. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
36. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018
37. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
38. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
39. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
40. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019
41. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
42. अविनयमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018
43. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018

VI. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक जिन पर राज्य सभा की प्रवर समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

44. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017
45. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017

VII. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक जिन पर संयुक्त समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

46. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
क्र.सं.	**अधिनियम का नाम**	**विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)**	**विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख**		**अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति**
			लो.स.	**रा.स.**	
1.	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
सोलहवीं लोक सभा का 17वां सत्र और राज्य सभा का 248वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
1.	वित्त विधेयक, 2019	01.02.2019 लो.स.	12.02.2019	13.02.2019	21.02.2019 2019 का 7
2.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019	11.02.2019 लो.स.	11.02.2019	13.02.2019	15.02.2019 2019 का 5
3.	विनियोग विधेयक, 2019	11.02.2019 लो.स.	11.02.2019	13.02.2019	15.02.2019 2019 का 4
विधि और न्याय मंत्रालय					
4.	वैयक्तिक विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019		07.01.2019 ∗13.02.2019	13.02.2019	21.02.2019 2019 का 6
सत्रहवीं लोक सभा का पहला सत्र और राज्य सभा का 249वां सत्र					
नागर विमानन मंत्रालय					
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019	12.07.2019 रा.स.	02.08.2019	16.07.2019	06.08.2019 2019 का 27
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
2.	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019	24.06.2019 लो.स.	26.06.2019	27.06.2019	06.07.2019 2019 का 8
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
3.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019	24.07.2019 रा.स.	01.08.2019	29.07.2019	05.08.2019 2019 का 26
4.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019	25.07.2019 लो.स.	26.07.2019	30.07.2019	31.07.2019 2019 का 22
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
5.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019	08.07.2019 लो.स.	06.08.2019	30.07.2019	09.08.2019 2019 का 35

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
6.	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019	24.06.2019 लो.स.	04.07.2019	08.07.2019	<u>23.07.2019</u> 2019 का 14
वित्त मंत्रालय					
7.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019	17.07.2019 लो.स.	17.07.2019	23.07.2019	<u>26.07.2019</u> 2019 का 18
8.	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019	05.07.2019 लो.स.	18.07.2019	23.07.2019	<u>01.08.2019</u> 2019 का 23
9.	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019	19.07.2019 लो.स.	19.07.2019	29.07.2019	<u>31.07.2019</u> 2019 का 21
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
10.	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019	21.06.2019 लो.स.	27.06.2019	02.07.2019	<u>15.07.2019</u> 2019 का 11
11.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019	27.06.2019 लो.स.	02.07.2019	04.07.2019	<u>16.07.2019</u> 2019 का 12
12.	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019	27.06.2019 लो.स.	03.07.2019	08.07.2019	<u>17.07.2019</u> 2019 का 13
13.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019	22.07.2019 लो.स.	29.07.2019 *05.08.2019	01.08.2019	<u>08.08.2019</u> 2019 का 30
गृह मंत्रालय					
14.	जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019	24.06.2019 लो.स.	28.06.2019	01.07.2019	<u>09.07.2019</u> 2019 का 9
15.	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019	08.07.2019 लो.स.	15.07.2019	17.07.2019	<u>24.07.2019</u> 2019 का 16
16.	मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019	18.07.2019 रा.स.	19.07.2019	23.07.2019	<u>05.08.2019</u> 2019 का 25
17.	विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019	08.07.2019 लो.स.	24.07.2019	02.08.2019	<u>08.08.2019</u> 2019 का 28
18.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019	05.08.2019 रा.स.	06.08.2019	05.08.2019	<u>09.08.2019</u> 2019 का 34
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
19.	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019	27.06.2019 लो.स.	01.07.2019	03.07.2019	<u>09.07.2019</u> 2019 का 10
20.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019	08.07.2019 लो.स.	12.07.2019	16.07.2019	<u>23.07.2019</u> 2019 का 15

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय					
21.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019	08.07.2019 लो.स.	06.08.2019	31.07.2019	<u>09.08.2019</u> 2019 का 36
विधि और न्याय मंत्रालय					
22.	नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019	03.07.2019 लो.स.	10.07.2019	18.07.2019	<u>26.07.2019</u> 2019 का 17
23.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019	21.06.2019 लो.स.	25.07.2019	30.07.2019	<u>31.07.2019</u> 2019 का 20
24.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019	15.07.2019 रा.स.	01.08.2019	18.07.2019	<u>09.08.2019</u> 2019 का 33
25.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2019	25.07.2019 लो.स.	29.07.2019	02.08.2019	<u>08.08.2019</u> 2019 का 31
26.	सर्वोच्च न्यायालय (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019	05.08.2019 लो.स.	05.08.2019	07.08.2019	<u>09.08.2019</u> 2019 का 37
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
27.	मजदूरी संहिता, 2019	23.07.2019 लो.स.	30.07.2019	02.08.2019	<u>08.08.2019</u> 2019 का 29
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
28.	सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019	19.07.2019 लो.स.	22.07.2019	25.07.2019	<u>02.08.2019</u> 31.07.2019
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
29.	मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019	15.07.2019 लो.स.	23.07.2019 *05.08.2019	31.07.2019	<u>09.08.2019</u> 2019 का 32
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
30.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019	18.07.2019 लो.स.	01.08.2019	24.07.2019	<u>05.08.2019</u> 2019 का 25
सत्रहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र और राज्य सभा का 250वां सत्र					
संस्कृति मंत्रालय					
31.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019	08.07.2019 लो.स.	02.08.2019	19.11.2019	<u>05.12.2019</u> 2019 का 39
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
32.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019	30.07.2019 रा.स.	26.11.2019	06.08.2019	<u>03.12.2019</u> 2019 का 38
वित्त मंत्रालय					
33.	चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019	05.08.2019 लो.स.	20.11.2019	28.11.2019	<u>05.12.2019</u> 2019 का 41

34.	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019	25.11.2019 लो.स.	02.12.2019	05.12.2019	11.12.2019 2019 का 46
35.	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019	25.11.2019 लो.स.	11.12.2019	12.12.2019	19.12.2019 2019 का 50
36.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019	04.12.2019 लो.स.	04.12.2019	12.12.2019	19.12.2019 2019 का 51
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
37.	इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019	22.11.2019 लो.स.	27.11.2019	02.12.2019	05.12.2019 2019 का 42
गृह मंत्रालय					
38.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019	26.11.2019 लो.स.	27.11.2019	03.12.2019	09.12.2019 2019 का 44
39.	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019	29.11.2019 लो.स.	09.12.2019	10.12.2019	13.12.2019 2019 का 48
40.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019	09.12.2019 लो.स.	09.12.2019	11.12.2019	12.12.2019 2019 का 47
41.	विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019	25.11.2019 लो.स.	27.11.2019	03.12.2019	09.12.2019 2019 का 43
विधि और न्याय मंत्रालय					
42.	संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019	09.12.2019 लो.स.	10.12.2019	12.12.2019	21.01.2019 संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम, 2019
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय					
43.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019	26.11.2019 लो.स.	28.11.2019	04.12.2019	11.12.2019 2019 का 45
पोत परिवहन मंत्रालय					
44.	पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019	25.11.2019 लो.स.	03.12.2019	09.12.2019	05.12.2019 2019 का 41
सामाजिक न्याय और अधिकारिता					
45.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019	19.07.2019 लो.स.	05.08.2019	26.11.2019	05.12.2019 2019 का 40

* संशोधनों से सहमत होना।

परिशिष्ट-4

(देखें पैरा 4.7)

17वीं लोक सभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 250वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

1. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियां संहिता, 2019
2. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
3. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019
4. समुद्री दस्युता रोधी विधेयक, 2019
5. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019
6. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
7. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

II. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

8. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

III. संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक

9. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

<u>राज्य सभा</u>

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
2. बांध संरक्षा विधेयक, 2019
3. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

II. लोक सभा द्वारा यथा पारित और प्रवर समिति को भेजा गया विधेयक

4. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

III. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

5. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति विधेयक, 2018
6. संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019
7. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
8. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019

IV. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

9. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
10. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
11. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
12. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

V. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

13. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
14. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
15. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
16. बीज विधेयक, 2004
17. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
18. निजी जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
19. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
20. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
21. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
22. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
23. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
24. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
25. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
26. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
27. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
28. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
29. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
30. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019
31. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019
32. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.13)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां - 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां - 240 नहीं - 109 अनुपस्थित - 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.05.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20

7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां - 190 नहीं - 338 अनुपस्थित - 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां - 269 नहीं - 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 256	15	11

परिशिष्ट - 5-क

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
अंतरिम बजट - 2019							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		**तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	वर्ष 2019-2020 के लिए अंतरिम बजट का प्रस्तुतीकरण	01.02.2019	01	43	01.02.2019	--	--
2.	वर्ष 2019-2020 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा	08.02.2019 11.02.2019	07	32	--	--	--
3.	वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य) (दूसरा बैच)	05.02.2019	00	01	#	#	#
4.	(i) लेखानुदान मांगें - 2019-2020 (ii) अनुपूरक अनुदान मांगें, 2018-19 (तीसरा भाग) लोक सभा में मद (2) और (4) पर एक साथ चर्चा की गई	08.02.2019 11.02.2019	07	32	#	#	#

टिप्पणी: #राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट - 5-ख

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 31.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
केंद्रीय बजट							
क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2019-2020 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतीकरण	05.07.2019	02	07	05.07.2019	--	--
2.	वर्ष 2019-2020 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	08.07.2019 09.07.2019 10.07.2019	17	23	10.07.2019 11.07.2019 12.07.2019	12	30
3.	रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	11.07.2019 12.07.2019	13	06	--	--	--
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	15.07.2019 16.07.2019	07	44	--	--	--
5.	(i) ग्रामीण विकास; तथा (ii) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	16.07.2019 17.07.2019	10	36	--	--	--
6.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा।	17.07.2019	04	14	--	--	--
7.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2019-20 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) परमाणु ऊर्जा (2) आयुष (3) रसायन और उर्वरक (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (9) कारपोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) रक्षा (12) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (13) पृथ्वी-विज्ञान (14) इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (15) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (16) विदेश (17) वित्त (18) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (19) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (20) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (21) भारी उद्योग और लोक उद्यम (22) गृह	17.07.2019	--	10	#	#	#

	(23) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (24) मानव संसाधन विकास (25) सूचना और प्रसारण (26) जल शक्ति (27) श्रम और रोजगार (28) विधि और न्याय (29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (30) खान (31) अल्पसंख्यक कार्य (32) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (33) पंचायती राज (34) संसदीय कार्य (35) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (36) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (37) योजना (38) विद्युत (39) लोक सभा (40) राज्य सभा (41) उप राष्ट्रपति सचिवालय (42) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (43) पोत परिवहन (44) कौशल विकास और उद्यमिता (45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (46) अंतरिक्ष विभाग (47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (48) इस्पात (49) वस्त्र (50) पर्यटन (51) जनजातीय कार्य (52) महिला और बाल विकास						
8.	वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (पहला भाग)	04.12.2019	--	--	12.12.2019	01	26

टिप्पणी: #राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-6

(देखें पैरा 5.5)

08.02.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुन:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

(1) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2018

(2) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 16 और नौवीं अनुसूची का संशोधन)

(3) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)

(4) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 121क और 211क का अंत:स्थापन)

(5) डा. ए. संपत, संसद सदस्य द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 88 का संशोधन, आदि)

(6) श्री दुष्यंत चौटाला, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)

(7) श्री तेज प्रताप सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा मिथ्या समाचार (प्रतिषेध) विधेयक, 2019

(8) श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन, आदि)

(9) श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, संसद सदस्य द्वारा धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक, 2018

(10) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 5 का संशोधन, आदि)

(11) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 497 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)

(12) श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय आव्रजन सुधार आयोग विधेयक, 2018

(13) श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा धार्मिक समरसता का संरक्षण विधेयक, 2018

(14) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण (भूमि भराव क्षेत्रों का प्रबंधन और गैर-जैवअवक्रमणीय कूड़े का नियंत्रण) विधेयक, 2019

(15) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2018

(16) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2018

(17) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा काम का अधिकार विधेयक, 2018

(18) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा सदोष दोषसिद्धी के अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 2018

(19) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 85क का अंत:स्थापन)

(20) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 और 3 का संशोधन)

(21) डा. प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति आरक्षण प्रसुविधा साम्यापूर्ण वितरण आयोग विधेयक, 2019

(22) डा. प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय (बारगढ़ में एक स्थायी न्यायापीठ की स्थापना) विधेयक, 2019

(23) श्री गौपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा रिक्शा चालक और सड़क किनारे बैठने वाले मैकेनिक (आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता) विधेयक, 2019

(24) श्री गौपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों और यौन कर्मियों के बालक (दुरूपयोग का निवारण और कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2019

(25) श्री आर. ध्रुवनारायण, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महिला कृषक आयोग विधेयक, 2019

(26) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन आदि)

(27) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा लघु राज्य निर्माण राष्ट्रीय बोर्ड विधेयक, 2019

(28) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 11 का संशोधन)

(29) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 19 का संशोधन)

(30) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019

(31) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 31 का संशोधन)

(32) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 3 का संशोधन इत्यादि)

(33) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 1 का संशोधन इत्यादि)

(34) श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य द्वारा कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2019

(35) श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य द्वारा बृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक, 2019

(36) श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य द्वारा रैगिंग का प्रतिषेध और उन्मूलन विधेयक, 2019

(37) श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य द्वारा कृषि कर्मकार (रोजगार सेवा शर्तें और कल्याण) विधेयक, 2019

(38) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

(39) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(40) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा पटना उच्च न्यायालय (महाराजगंज में एक स्थायी न्यायापीठ की स्थापना) विधेयक, 2019

(41) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा गरीब और निराश्रित कृषि कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2019

(42) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा गौ संरक्षण विधेयक, 2019

(43) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन इत्यादि)

(44) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा झारखंड और अन्य राज्यों में जनजातीय बालक और स्तनपान कराने वाली महिलाएं (भूख, कुपोषण मिटाना और भुखमरी से होने वाली मृत्यु का निवारण) विधेयक, 2019

(45) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 370क का अंत:स्थापन)

(46) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 304क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(47) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुसूची का संशोधन)

(48) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2019 (धारा 12 का संशोधन, इत्यादि)

(49) श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में खेलों के माध्यम से बालकों की अनिवार्य शारीरिक स्वस्थता और खेल संबंधी अवसंरचना का विकास विधेयक, 2019

(50) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा छुट्टा गोवंश (संरक्षण और नियंत्रण) बोर्ड विधेयक, 2019

(51) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन और संरक्षण विधेयक, 2019

(52) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा बुंदेलखंड रेजीमेंट विधेयक, 2019

(53) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

(54) श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा बृहत् परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2019

(55) श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या (स्थिरीकरण और योजना) विधेयक, 2019

(56) श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2019

(57) श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा नदी (संरक्षण और प्रदूषण को दूर करना) विधेयक, 2019

(58) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा आधिकारिक सरकारी बैठकों और समारोह (मांसाहारी भोजन परोसने का प्रतिषेध) विधेयक, 2019

(59) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 (अनुसूची का संशोधन)

(60) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता का संदाय विधेयक, 2019

(61) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अध्याय IIक का अंत:स्थापन)

(62) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 (णारा 135 का संशोधन, आदि)

(63) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा युवा कौशल प्रशिक्षण विधेयक, 2019

(64) श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा हिंदु दत्तक और भरण-पोषण (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 18 का संशोधन)

(65) श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 184 का संशोधन)

(66) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा गलत सिद्धदोषी के अधिकारों की रक्षा विधेयक, 2019

(67) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन, विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(68) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 6क का अंत:स्थापन, आदि)

(69) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (नए अध्याय IVघ का अंत:स्थापन, आदि)

(70) श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग विधेयक, 2019

(71) श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास आयोग विधेयक, 2019

(72) श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग विधेयक, 2019

(73) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 9 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)

(74) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 14क का अंत:स्थापन, आदि)

(75) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 354 और 509 का विलोप)

(76) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2019

(77) श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2019

(78) डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में अभिहित करना विधेयक, 2019

(79) डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2019

(80) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 29कक का अंत:स्थापन)

(81) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (तीसरी अनुसूची का अंत:स्थापन)

(82) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 14 का संशोधन)

(83) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)

(84) श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(85) श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा गौ-वध पाबंदी विधेयक, 2019

(86) श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)

(87) श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 44 का विलोप, आदि)

(88) श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 370 का संशोधन)

(89) श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

(90) श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 324क का संशोधन)

(91) श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 66 का संशोधन)

(92) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2019

(93) श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 497 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(94) श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2019

(95) श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा पिछड़ा क्षेत्रविकास बोर्ड विधेयक, 2019

(96) श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य द्वारा रेल पटरियों, रेल यार्डों के समीप और रेल भूमि पर रहने वाले बेघर व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2019

(97) श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड विधेयक, 2019

(98) श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय की अनिवार्य स्थापना विधेयक, 2019

(99) श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (राजभाषाओं का प्रयोग और अन्य उपबंध) विधेयक, 2019

(100) श्री रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य द्वारा लघु और सीमांत कृषक (कल्याण) विधेयक, 2019

(101) श्री रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य द्वारा कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2019

(102) श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 83 का संशोधन, आदि)

(103) श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)

(104) श्री हिबी इडन, संसद सदस्य द्वारा उत्तम सहायता दाता विधेयक, 2019

(105) श्री हिबी इडन, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 135, आदि का संशोधन)

(106) श्री गौतम गंभीर, संसद सदस्य द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवावृत्तिकों का हमले, आपराधिक बल प्रयोग और अभित्रास के विरूद्ध संरक्षण विधेयक, 2019

(107) श्री देवजी एम. पटेल, संसद सदस्य द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक, 2019

(108) श्री देवजी एम. पटेल, संसद सदस्य द्वारा चारा भांडागार बोर्ड विधेयक, 2019

(109) श्री देवजी एम. पटेल, संसद सदस्य द्वारा स्वदेशी गौ संरक्षण बोर्ड विधेयक, 2019

(110) श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा पेकेजिंग सामग्री का अनिवार्य पुन:क्रम और पुनर्चक्रण विधेयक, 2019

(111) डा. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

(112) डा. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का प्रत्येक जिला मुख्यालय तक विस्तारण विधेयक, 2019

(113) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक,2019 (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(114) श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक,2019 (प्रस्तावना, आदि का संशोधन)

(115) श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा पैदल यात्रियों द्वारा मोबाईल इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग (विनियमन) विधेयक, 2019

(116) श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा दयाभूत प्राणांत (विनियमन) विधेयक, 2019

(117) डा. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 4, आदि का संशोधन)

(118) डा. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 11, आदि का संशोधन)

(119) श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2019

(120) श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में विधि शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019

(121) श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा खुले स्थानों को स्वच्छ एवं रोग मुक्त रखने हेतु विधेयक, 2019

(122) श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा जवाबदारी ब्यूरो विधेयक, 2019

(123) श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा का अनिवाय्र शिक्षण विधेयक, 2019

(124) श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में मनोविज्ञान का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019

(125) डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा बिहार राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

(126) श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 30 का संशोधन)

(127) श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन)

(128) श्री के. नवसकनी, संसद सदस्य द्वारा अंतराज्जीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2019

(129) श्री के. नवसकनी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय कृषि और किसान आयोग विधेयक, 2019

(130) श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, संसद सदस्य द्वारा मृत्यु दंड (उत्सादन) विधेयक, 2019

(131) श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 228क, आदि का संशोधन)

(132) श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2019

(133) श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थओं में योग का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019

(134) श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना विकास विधेयक, 2019

(135) श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2019

(136) श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति विधेयक, 2019

(137) श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा मिथ्या समाचार (प्रतिषेध) विधेयक, 2019

(138) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध विधेयक, 2019

(139) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा चिकित्सकों, चिकित्सा वृत्तिकों और चिकित्सा संस्थाओं के विरूद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2019

(140) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 47क का अंत:स्थापन)

(141) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंद, संसद सदस्य द्वारा विवाह-पूर्व नि:शुल्क और अनिवार्य आनुवंशिक परीक्षण विधेयक, 2019

(142) श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितिकरण) विधेयक, 2019

(143) श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019

(144) श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

(145) श्री एच. वसंतकुमार, संसद सदस्य द्वारा मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2019

(146) श्री एच. वसंतकुमार, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2019

(147) डा. डी. रविकुमार, संसद सदस्य द्वारा व्यकितगत डाटा और सूचना निजता संहिता विधेयक, 2019

(148) श्री अजय भट्ट, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

(149) श्री अजय भट्ट, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(150) श्री अजय भट्ट, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019

(151) डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 3 और 7 का संशोधन)

(152) डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

(153) डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकु उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2019 (धारा 4 इत्यादि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(154) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2019

(155) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 10 ङ: का अंत:स्थापन, आदि)

(156) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

(157) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, संसद सदस्य द्वारा उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथों के लिए अनिवार्य मूल सुविधाएं विधेयक, 2019

(158) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, संसद सदस्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण विधेयक, 2019

(159) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, संसद सदस्य द्वारा बालिका और किशोरियां (कल्याण) विधेयक, 2019

(160) प्रो. सौगत राय, संसद सदस्य द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध विधेयक, 2019

(161) प्रो. सौगत राय, संसद सदस्य द्वारा चाय बागान कामगार (देय का यथासमय संदाय) विधेयक, 2019

(162) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा खेलकूद का अधिकार विधेयक, 2019

(163) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2019

(164) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

(165) श्री फिरोज वरूण गांधी, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 62 का संशोधन)

(166) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 10 का संशोधन)

(167) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 16क का अंत:स्थापन)

(168) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

(169) डा. सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 15 का संशोधन, आदि)

(170) डा. सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019

(171) श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 3ड. का अंत:स्थापन, आदि)

(172) श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य द्वारा महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2019

(173) श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 30क का अंत:स्थापन)

(174) श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा अफीम उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2019

(175) श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

राज्य सभा

(1) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 10क और 10ख का अंत:स्थापन)

(2) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा रेल (संशोधन) विधेयक, 2018

(3) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा रोज़गार विधेयक, 2018

(4) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा कृषकों के परिवारों का संरक्षण विधेयक, 2018

(5) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा भू-जल संदूषण निवारण विधेयक, 2018

(6) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में अनिवार्य योग और खेल शिक्षा विधेयक, 2018

(7) श्री रिपुन बोरा, संसद सदस्य द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरसन विधेयक, 2018

(8) श्री रिपुन बोरा, संसद सदस्य द्वारा महिलाएं (अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताओं, संधियों और करारों में समान भागीदारी) विधेयक, 2018

(9) श्री रिपुन बोरा, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्र गान (आशोधन) विधेयक, 2018

(10) श्री महेश पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा खाद्य पदार्थ बर्बादी (अल्पीकरण) विधेयक, 2018

(11) श्री महेश पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2, 16, 19 आदि का संशोधन)

(12) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018

(13) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2018

(14) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविदा में अनुचित (प्रक्रियात्मक और मूल) निबंधन विधेयक, 2018

(15) श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018

(16) श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिंता (संशोधन) विधेयक, 2019

(17) डा. विकास महात्मे, संसद सदस्य द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (उप-श्रेणीकरण) संशोधन विधेयक, 2018

(18) डा. विकास महात्मे, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य खाद्य पदार्थ बर्बादी अल्पीकरण विधेयक, 2018

(19) श्री तिरूची शिवा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 239कक का संशोधन)

(20) श्री अमर शंकर साबले, संसद सदस्य द्वारा टूर ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट (विनियमन) विधेयक, 2018

(21) श्री अमर शंकर साबले, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय भौतिक चिकित्सा परिषद विधेयक, 2018

(22) डा. नरेंद्र जाधव, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले वित्तीय सेवा, महत्वपूर्ण अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश (विनियमन) विधेयक, 2018

(23) श्री जावेद अली खान, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)

(24) श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)

(25) श्री के.सी. राममूर्ति, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019

(26) श्री संजय सिंह, संसद सदस्य द्वारा पवित्र शहर काशी (सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण) विधेयक, 2019

(27) श्रीमती विजिला सत्यानंत, दृष्टिबाधित व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) 2019

(28) श्री सी.एम. रमेश, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन)

(29) श्री प्रताप सिंह बाजवा, संसद सदस्य द्वारा किसानों के आर्थिक अधिकारों की संरक्षा और न्यायनिर्णयन आयोग विधेयक, 2018

(30) प्रो. एम.वी. राजीव गौडा, संसद सदस्य द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018

(31) श्रीमती वंदना चव्हाण, संसद सदस्य द्वारा शिक्षा संबंधी विशेष नि:शक्ता से ग्रस्त बालक (पहचान और शिक्षा में सहायता) विधेयक, 2018

(32) श्रीमती वंदना चव्हाण, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक,2018

(33) श्रीमती वंदना चव्हाण, संसद सदस्य द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक, 2018

(34) श्री के.टी.एस. तुलसी, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

(35) श्री बिनोय विश्वम, संसद सदस्य द्वारा न्यूनतम मज़दूरी (संशोधन) विधेयक, 2019

(36) डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019

(37) डा. विकास महात्मे, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में सामाजिक और भावनात्मक अधिगम संवर्धन विधेयक, 2019

(38) श्री राकेश सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2019

(39) श्री रीताब्रता बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा किशोर मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 2018

(40) श्री रीताब्रता बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा लाभ आयोग विधेयक, 2018

(41) श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य द्वारा अनाथ (सरकारी स्थापनाओं में पदों का आरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2018

(42) डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 282 का प्रतिस्थापन)

(43) डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019

(44) डा. किरोड़ी लाल मीणा, राष्ट्रीय कृषक कल्याण आयोग विधेयक, 2019

(45) डा. विकास महात्मे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)

(46) डा. अभिषेक मनु सिंघवी, संसद सदस्य द्वारा सार्वभौमिक और नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार विधेयक, 2019

(47) श्री बी.के. हरिप्रसाद, संसद सदस्य द्वारा भू-स्वामियों के रूप में निवासियों के अधिकार विधेयक, 2019

(48) डा. किरोड़ी लाल मीणा, संसद सदस्य द्वारा आदिवासी रेजीमेंट विधेयक, 2019

(49) डा. किरोड़ी लाल मीणा, संसद सदस्य द्वारा मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक विधेयक, 2019

(50) डा. किरोड़ी लाल मीणा, संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2019

(51) श्री वाइको, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 343 का संशोधन)

(52) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन और अनुच्छेद 51क का संशोधन)

(53) डा. टी सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2019

(54) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा यथोचित आवासन का अधिकार विधेयक, 2019

(55) श्री राजकुमार धूत, मैन्ग्रोव वन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019

(56) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा भारी बारिश, चक्रवातों और अन्य कारणों से आने वाली बाढ़ के पीड़ित (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2019

(57) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा बांधों जलाशयों और नदियों का अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन विधेयक, 2019

(58) डा. अभिषेक मनु सिंघवी, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019

(59) श्रीमती शांता क्षेत्री, संसद सदस्य द्वारा ई-कॉमर्स (विनियमन) विधेयक, 2019

(60) श्रीमती शांता क्षेत्री, संसद सदस्य द्वारा विकार्बनीकरण विधेयक, 2019

(61) श्री विजय गोयल, संसद सदस्य द्वारा पुरानी दिल्ली संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2019

(62) श्री विजय गोयल, संसद सदस्य द्वारा बहुअंकीय लाटरी प्रतिषेध विधेयक, 2019

(63) श्री अजय प्रताप सिंह, संसद सदस्य द्वारा हिंदू पूजा स्थल और धार्मिक स्थल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2019

(64) श्री राकेश सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा भारतीय लोक प्रत्यय लेखागार विधेयक, 2019

(65) श्री रोनाल्ड सपा लाउ, संसद सदस्य द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2019

(66) श्री जावेद अली खान, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य प्रतीकों के प्रति अपमान का निवारण विधेयक, 2019

(67) श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति (देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2019

(68) श्री आर.के. सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार, 2019

(69) डा. अमर पटनायक, संसद सदस्य द्वारा नि:शुक्ल और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

(70) कुमारी शैलजा, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक, 2019

(71) श्री जी.वी.एल. संसद सदस्य द्वारा नरसिंहा राव, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019

(72) डा. अमर पटनायक, संसद सदस्य द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2019

(73) डा. अमर पटनायक, संसद सदस्य द्वारा सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

(74) कुमारी शैलजा, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

(75) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 379क एवं 379ख का अंत:स्थापन)

(76) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2019

(77) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 338ग का अंत:स्थापन अंतर्वेशन)

(78) डा. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2019

(79) डा. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा साल के पत्तों के संग्राहकों और व्यापारियों का कल्याण विधेयक, 2019

(80) डा. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2019

(81) श्री के.के. रागेश, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)

(82) श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रबंधन आयोग विधेयक, 2019

(83) श्री पी. विल्सन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 217 एवं 224 का संशोधन)

(84) श्री राम कुमार वर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 44क का अंत:स्थापन एवं अनुच्छेद 51क का संशोधन)

परिशिष्ट - 7
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को

केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. <u>बैठकें</u>

<u>बैठकों की संख्या</u>

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

<u>दिल्ली से बाहर बैठकें</u>

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

<u>बैठक की तारीख</u>

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

<u>अवधि</u>

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

<u>बैठक के लिए सूचना</u>

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. <u>प्रशासनिक मामले</u>

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. <u>उप-समिति</u>

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

1. ....
2. ....
3. ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....
(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

मोबाईल नं:

ईमेल आईडी:

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता:

(ख) स्थायी पता:

सेवा में

अवर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
कमरा नं.90, संसद भवन,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट - 8

(देखें पैरा 8.4)

17वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
3.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
4.	नागर विमानन मंत्रालय
5.	कोयला और खान मंत्रालय
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
8.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
9.	रक्षा मंत्रालय
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
11.	इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्रालय
12.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
13.	विदेश मंत्रालय
14.	वित्त मंत्रालय
15.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
17.	भारी उद्योग और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
18.	गृह मंत्रालय
19.	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
20.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
21.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
22.	जल शक्ति मंत्रालय
23.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
24.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
25.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
26.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
27.	रेल मंत्रालय
28.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
29.	ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय

30.	पोत परिवहन मंत्रालय
31.	कौशल विकास और उद्‌यमिता मंत्रालय
32.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
33.	इस्पात मंत्रालय
34.	वस्त्र मंत्रालय
35.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
36.	महिला और बाल विकास मंत्रालय
37.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट - 9

(देखें पैरा 8.5)

दिनांक 1.1.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	06.02.2019
चर्चा किए गए विषय	डेयरी सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना।
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	07.01.2019
चर्चा किए गए विषय	**मुक्त** आकाश नीति प्रदर्शन और समीक्षा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	08.01.2019
चर्चा किए गए विषय	डी.एम.आई.सी. में संरचनागत विकास।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	03.01.2019, 28.01.2019 (बेंगलूरू), 10.12.2019
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की समीक्षा; (i) भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन की समीक्षा और (ii) बी.आई.एस. के कार्यचालन की समीक्षा; और। टी.डी.पी.एस. में सुधार - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	**0**1
बैठकों की तारीखें	31.12.**2019**
चर्चा किए गए विषय	सीमा सड़क संगठन।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	**0**1
बैठकों की तारीखें	12.12.2019
चर्चा किए गए विषय	गैर छूट केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 10% जीबीएस का उपयोग।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	**0**2
बैठकों की तारीखें	07.**02.201**9, 03.12.2019
चर्चा किए गए विषय	**जलवायु परिवर्तन**/ग्लोबल वॉर्मिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक।

विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	12.02.2019
चर्चा किए गए विषय	मसौदा उत्प्रवास विधेयक पर चर्चा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	09.12.2019
चर्चा किए गए विषय	परिचायक बैठक।
भारी उद्योग और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	06.12.2019
चर्चा किए गए विषय	ई-मोबिलिटि।
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	12.12.2019
चर्चा किए गए विषय	सीमा प्रबंधन।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	03.01.2019, 19.12.2019
चर्चा किए गए विषय	स्वच्छ भारत मिशन में प्रगति, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का मिशन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	13.02.2019
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए.) और नई पहल।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	05.12.2019
चर्चा किए गए विषय	संचार के अंतिम मील तक पहुंच-भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन-सघनता कैसे बढ़ाएं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	08.02.2019, 05.12.2019
चर्चा किए गए विषय	गैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम; और गैस आधारित अर्थव्यवस्था और जैव ईंधन।
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	12.12.2019
चर्चा किए गए विषय	भारतीय रेलवे के कामकाज के अवलोकन के साथ परिचायक प्रकृति।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	21.01.2019 (गुजरात)
चर्चा किए गए विषय	(i) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (एन.ए.एल.सी.ओ.) की समीक्षा।
पोत परिवहन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	12.12.2019
चर्चा किए गए विषय	संगठन के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की समग्र गतिविधियाँ।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	04.01.2019, 12.12.2019
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय प्रवासी योजना (एन.ओ.एस.); और गैर सरकारी संगठन अनुदानों पर चर्चा।
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	28.01.2019 (गोवा), 03.12.2019
चर्चा किए गए विषय	(i) इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा और (ii) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सी.पी.एस.ई. की खनन गतिविधियाँ, इस्पात के उपयोग में वृद्धि।
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	03.01.2019
चर्चा किए गए विषय	वन अधिकार अधिनियम।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	08.02.2019
चर्चा किए गए विषय	सूक्ष्म सिंचाई।

परिशिष्ट - 10
(देखें पैरा 11.8)

1 से 16 सितंबर, 2019 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री राहुल अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		4	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		5	श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
.2	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	श्री नरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
		4.	श्री कमल किशोर शर्मा, वैयक्तिक सहायक	विशेष
.3	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री राहुल अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	श्री नवीन भारद्वाज, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		4	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		5	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
.4	गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री प्रद्योत बेपारी, अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	श्री ए.एन. बालचंद्रन नायर, सलाहकार/सहायक	द्वितीय
		3	श्री पी.के. हलदर, अवर सचिव	तृतीय
		4	श्री जोगेंद्र नाथ नायक, वैयक्तिक सहायक	तृतीय
.5	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता	1	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2	डॉ. प्रणव भारद्वाज, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	द्वितीय
		3	कु. मलिक बुलबुल सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		4	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		5	श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
.6	सामान्य हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता	1	श्री विरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	प्रथम
		2	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3	डॉ. प्रणव भारद्वाज, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	द्वितीय
		4	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		5	श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
7.	बहुकार्य स्टाफ के लिए हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	कु. अनामिका सिंह, एम.एस.टी.	प्रथम
		2	श्री पवन कुमार, एम.एस.टी.	प्रथम
		3	श्री आनंद कुमार, एम.एस.टी.	द्वितीय
		4	श्री सुधांशू चौधरी, एम.एस.टी.	तृतीय
		5	श्री मनीराम, एम.एस.टी.	विशेष

मंत्रालय में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 के लिए नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
1.	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	प्रथम
2.	श्री जय नारायण, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
3.	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्‌वितीय
4.	श्री बैजनाथ महतो, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्‌वितीय
5.	श्री साधु राम, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्‌वितीय
6.	श्रीमती वंदना ढींगरा, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
7.	मो. असदुल्लाह, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
8.	श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
9.	श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
10.	श्री भवान सिंह, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय

परिशिष्ट - 11

(देखें पैरा 13.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	खेल विभाग के अधीन स्वायत्त संगठन 'भारतीय खेल प्राधिकरण' का सामान्य निकाय।	श्री अनुराग ठाकुर श्री बृजभूषण शरण सिंह	श्रीमती एम.सी. मेरी कोम	03.01.2019
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद।	चौधरी मेहबूब अली कैसर श्री मुजफ्फर हुसैन बेग	श्रीमती कहकशा परवीन	04.01.2019
3.	भारतीय खाद्य निगम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की परामर्शदात्री समिति पर अध्यक्ष/सभापति के रूप में नियुक्ति	श्री राजिंदर अग्रवाल श्री सुखबीर सिंह बादल श्री सुभाष बहेरिया श्री सुदर्शन भगत श्री मिधुन रेड्डी श्री तापिर गाओ श्रीमती क्वीन ओझा श्री संतोष पांडे श्री राम स्वरूप शर्मा श्री बृजेंद्र सिंह श्री जुगल किशोर शर्मा श्री सुनील कुमार सिंह श्री नंद कुमार सिंह श्री राम दास तादस श्रीमती अप्राजिता सारंगी श्री एस.पी. सिंह वघेल श्री अजय टम्टा श्री दिलीप घोष श्री गोपाल शेट्टी श्रीमती कोकिला घोष दस्तीकार श्रीमती सुप्रिया सुले श्री जमयुंग शेयरिंग नामग्याल		09.09.2019

		श्री इंद्र हेंग सुब्बा श्री भृतुहरि महताब श्री तोखियो येपथोमि श्री मोहनभाई एस. देलकर श्री लालुभाई बाबूभाई पटेल श्री मनोज तिवारी		
4.	केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद	डा. अरविंद कुमार शर्मा डा. राज कुमार रंजन सिंह	श्री सी.पी. ठाकुर श्रीमती कांता कर्दम	25.09.2019
5.	टिकट संग्रहण करने संबंधी सलाहकार समिति	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	प्रो. एम.वी. राजीव गौडा	25.09.2019
6.	बाल श्रम केंद्रीय सलाहकार बोर्ड	श्रीमती रेखा वर्मा	सुश्री सरोज पांडे	05.11.2019
7.	प्रकाशस्तंभ के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति	श्रीमती किरण खेर	श्री राम नारायण दुडी	24.10.2019
8.	केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी)	श्री संगम लाल गुप्ता श्री शर्मिष्ठा सेठी	डा. डी.पी. वत्स	04.11.2019
9.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआइ) नोएडा की सामान्य परिषद	श्री विरेंद्र कश्यप	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	25.10.2019
10.	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद	श्री देबुसिंह चौहान	श्री जी.वी.एल. नरसिंह राव	05.11.2019
11.	भारतीय मानक ब्यूरो	श्री भोला सिंह	श्री महेश पोद्दार	25.10.2019
12.	मेट्रो रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति, कोलकाता	श्रीमती माला राय श्री शांतनु ठाकुर	श्रीमती रूपा गांगुली	05.11.2019
13.	कोंकण रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति	श्री विजयक भाऊराव राऊत श्री अनंत कुमार हेगडे श्री थॉमस छल्कादन श्री कॉसमे फ्रांसिस्को सारदीना	श्री विजय दिनू तेंदुलकर श्री अमर शंकर साबले श्री व्यालार रवि डा. प्रभाकर कोरे	05.11.2019
14.	राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति	डा. जयदिद्वेश्वर एस. महास्वामी श्री पल्लब लोचन दास श्री जरमयांग शेयरिंग नामग्याल श्री छेदी पासवान श्री अनुराग शर्मा	श्री राम कुमार वर्मा श्री बलविंदर सिंह भुंडर श्रीमती विजिला सत्यनाथ श्रीमती कहकशां परवीन श्री प्रभाकर कोरे	06.11.2019

		श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत श्री चंद्र शेखर साहू श्री मिथुन रेड्डी डा. कृष्ण पाल सिंह यादव श्री मानने श्रीनिवास रेड्डी		
15.	नवोदय विद्यालय समिति	श्री बाबा बालक नाथ श्रीमती नुसरत जहां श्री एन. रेड्डीप्पा श्री दीपक बेज	श्री अश्विनी वेष्णव श्री ए. नवनीथकृष्णन	04.11.2019

परिशिष्ट - 12

(देखें पैरा 13.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (हि.स.स.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है**	**नामांकित संसद सदस्यों के नाम**		**नामांकन की तारीख**
		लोक सभा	**राज्य सभा**	
1.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री शरद त्रिपाठी श्रीमती दर्शना विक्रम जर्दोश	श्री देवेन्द्र पाल वत्स श्री मदन लाल सैनी	18.01.2019
2.	नागर विमानन मंत्रालय	श्री राजू बिस्ता श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन शुक्ल	श्री भूपेंद्र यादव श्री राम नारायण डूडी	26.09.2019
3.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	प्रो. एस.पी. सिंह वघेल डा. सुभाष रामराव भामरे	श्री वाई.एस. चौधरी डा. महेंदर प्रसाद	04.10.2019
4.	पोत परिवहन मंत्रालय	श्री विनोद छावड़ा श्री दिलीप घोष	डा. विकास महातमे श्रीमती विपल्व ठाकुर	04.10.2019
5.	उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्री पल्लब लोचन दास सुश्री प्रतिमा भौमिक	श्री के. भबन्दा सिंह श्री बिसवजीत देमरे	07.10.2019
6.	अंतरिक्ष मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग संबंधी संयुक्त समिति	डा. अलोक कुमार सुमन श्री उदय प्रताप सिंह	श्री परिमल नथवानी श्री नीरज शेखर	07.10.2019
7.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषक कोपरेटिव और किसान कल्याण विभाग	श्री संतोष पांडे श्रीमती सुनीता दुग्गल	श्री राम विचार नेताम श्री संजय सेठ	09.10.2019
8.	इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री विश्वेश्वर तुडू श्री सुनील बाबूराव मेंढ़े	श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा	10.10.2019
9.	उद्योग संवर्धन विभाग (पुरानी औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्री राम कृपाल यादव श्री अनुराग शर्मा	श्री गोपाल नारायण सिंह डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्ये	09.10.2019
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री भगवंत मान श्री हेमंत तुकाराम गोडसे	श्री प्रभात झा श्रीमती वंदना चव्हाण	30.10.2019
11.	संयुक्त (आर्थिक कार्य और वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय	श्री राहुल केसवन श्री चिराग पासवान	श्री राम कुमार कश्यप डा. सुभाष चंद्रा	04.11.2019

12.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	श्री सुरेश कुमार कशयप श्रीमती संध्या राय	श्री केलाश सोनी श्री राम नाथ ठाकुर	25.10.2019
13.	दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय	श्री प्रताप सिम्हा श्री हिबी एडेन	श्री आर.क. सिन्हा कुमारी शेलजा	24.10.2019
14.	कोयला मंत्रालय	श्री पषुपति नाथ सिंह सुश्री चंद्राणी मुर्मु	श्री राकेश सिन्हा श्री संजय राउत	31.10.2019
15.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्रीमती गोमती साई श्री कौशेलेंद्र कुमार	डा. सत्यनारायण जाटिया श्री पी.एल. पुनिया	30.10.2019
16.	गृह मंत्रालय	श्री रामचरण बोहरा श्री कल्याण बनर्जी	श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर श्री विवेक के. तनखा	04.11.2019
17.	रक्षा संरक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय	श्री राजेंद्र अग्रवाल श्री अर्जुन सिंह	श्री प्रदीप टम्टा श्री शमशेर सिंह मनहास	30.10.2019
18.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री जुगल किशोर शर्मा श्री मोहन एस. देलकर	श्री हरनाथ सिंह यादव श्री हुसैन दलवाई	04.11.2019
19.	जल शक्ति मंत्रालय	श्रीमती क्वीन ओझा श्री एस. मुनीस्वामी	श्री रणविजय सिंह जूदेव श्री मोहम्मद अली खान	24.10.2019
20.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	श्री सुमेधानंद सरस्वति श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या	श्री अजय प्रताप सिंह डा. अमी याजनिक	31.10.2019
21.	पर्यटन मंत्रालय	श्री इंद्र हेंग सुब्बा श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	श्री प्रशांत नंदा श्री राम शकल	31.10.2019
22.	वस्त्र मंत्रालय	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश श्री शंकर ललवानी	डा. अशोक बाजपेयी श्रीमती जया बच्चन	01.11.2019
23.	विदेश मंत्रालय	श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल श्री सी. लालरोसंगा	श्री विजय पाल सिंह तोमर डा. रघुनाथ मोहपात्रा	04.11.2019
24.	इस्पात मंत्रालय	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी श्री सुनील कुमार सोनी	श्री लाल सिंह वडोडिया श्री नरेश गुजराल	04.11.2019
25.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री सुखबीर सिंह जोनापुरिया श्रीमती पूनमबेन हिम्मतभाई मादम	डा. किरोडी लाल मीणा श्री समीर ऊरांव	01.11.2019
26.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री सुभाष चंद्र बहेरा श्री संजय (काका) रामचंद्र पाटिल	श्री ओम प्रकाश माथुर श्री प्रेम चंद गुप्ता	31.10.2019
27.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	डा. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे श्री भोलनाथ	डा. अनिल अग्रवाल श्रीमती छाया वर्मा	04.11.2019

28.	रेल मंत्रालय	श्री हरीश द्विवेदी श्रीमती वीना देवी	श्री नारायण लाल पंचारिया श्री अखिलेश प्रसाद सिंह	24.10.2019
29.	उपभोक्त कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	श्री सोयम बाबू राव डा. विष्टी वेंकटसत्यती	श्री माजिद मेमन श्री सभाजी छत्रपति	24.10.2019

परिशिष्ट - 13

(देखें पैरा 13.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	**मद**	**वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं**
1.	वेतन	रूपये 1,00,000/- प्रतिमाह (संसद सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 01/04/2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2018 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 70,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 60,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 20,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 40,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा। (इन भत्तों में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देती/देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के

		लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफ़ोन में से किसी एक पर MTNL/BSNL से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। एक सदस्य प्रतिमाह अधिकतम रू.1,500/- के अधीन रहते हुए मौजूदा लैंडलाइन में से किसी एक पर निशुल्क ब्रॉडबैंड सुविधा का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली निवास पर वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड FTTH का लाभ उठा सकता है कि बशर्ते इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे MTNL को केवल रू.2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरी साधारण लाईसेंस फीस का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रूपये 1,00,000/- (रूपये 80,000/- स्थायी फर्नीचर + रूपये 20,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें

		लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/10/2010 से 11.5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर रूपये 4,00,000/- जिसे 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
11.	यात्रा भत्ता	**रेल:** यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। कोई भी शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा। **वायुयान**: किसी भी एयरलाइन्स में एक वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से

		विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **<u>स्टीमर</u>** : स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के) **<u>सड़क</u>** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
12.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8

		बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: (क) उस सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

		जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी गई है कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।

परिशिष्ट - 14

(देखें पैरा 13.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष्द्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।